कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

जागृति

वर्ष-61 अंक-4 मुम्बई मार्च 2017

नई दिल्ली में एमएसएमई मंत्री द्वारा तीसरे खादी लाउंज का लोकार्पण

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

वर्ष-61 अंक-4 मुम्बई मार्च 2017

सम्पादक मंडल

अध्यक्ष

श्रीमती अन्शु सिन्हा

सम्पादक
के. एस. राव

उप सम्पादक
सुबोध कुमार

वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
सरस्वती खनका

वरिष्ठ कलाकार
संजय एस. सोमदे

कलाकार
चंद्रशेखर पुनवटकर,
दिलीप पालकर

के. सुब्बाराव, द्वारा प्रचार, फिल्म एवं
लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
ग्रामोदय,3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम),
मुम्बई - 400 056 के लिए प्रकाशित
टेलिफैक्सः 022-26719465
ई-मेलः jagritikvic@gmail.com वेबसाईटः www.kvic.org.in

प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड,
विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056 में प्रकाशित

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा व्यक्त विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा सम्पादक सहमत हों।

इस अंक में...

समाचार सार 3 से 28

ऐतिहासिक साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में आयोग की 642 बैठक आयोजित.....
पीएमईजीपी योजना के तहत उद्यमिता विकास.....
आयोग द्वारा सीपी, नई दिल्ली में नया खादी लाउंज.....
खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम पर आंचलिक .....
मुंबई में ओएनजीसी कर्मचारियों के लिए प्रदर्शनी .....
अहमदाबाद में द्वारा कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर दो दिवसीय आंचलिक स्तरीय कार्यशाला आयोजित.....
आयोग के अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश की सभी खादी संस्थानों और राज्य खादी बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक.....
कार्यक्रम के दौरान रैंप वॉक, वस्त्र डिजाइनिंग और .....
विशेष बच्चों ने खादी उत्सव में लगाये चार चाँद.....
स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सभी 23 अस्पतालों को केवल खादी उत्पादों .....केवीआईसी को 150 करोड़ रुपए का आर्डर.....
विशाखापत्तनम में पीएमईजीपी योजना पर बैंकर्स .....
आयोग ने रेग्युलेशन्स उल्लंघन हेतु फैब इंडिया को .....
मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य की खादी .....
हाथकागज़ एवं रेशा उद्योग पर अखिल भारतीय.....
केएनएचपीआई के वैज्ञानिक को सम्मान.....
सौर ऊर्जा से चलने वाले 12-स्पिंडल हाई स्पीड अम्बर चरखे का डिजाइन और विकास
साबरमती आश्रम में आयोग की 642वीं बैठक आयोजित.....

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ.....29 से 33

आयोग द्वारा सीपी, नई दिल्ली में नया खादी लाउंज स्थापित

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री कलराज मिश्र ने केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री श्री हरिभाई चौधरी, एमएसएमई के सचिव श्री के.के. जालान, आयोग के अध्यक्ष श्री वी.के. सक्सेना एवं फैशन डिजाइनर सुश्री रितु बेरी की उपस्थिति में कनाट पैलेस, नई दिल्ली के एम्पोरियम परिसर में एक अन्य अत्याधुनिक और उच्च श्रेणी के बिक्री केंद्र "खादी लाउंज" का उद्घाटन किया है। इन डिजाइनर वस्त्रों में अत्याधुनिक परिधान एवं तैयार वस्त्र शामिल हैं जो कि प्रख्यात फैशन डिजाइनर रितु बेरी, द्वारा डिजाइन किये गए हैं ।

यह **"खादी लाउंज"** दिल्ली महानगर में रहने वाले फैशनपरक महिलाओं और पुरुषों के लिए हाथ से कते व हाथ से बुने आधुनिक डिज़ाइनर परिधानों और विशिष्ट खादी वस्त्रों की श्रृंखला उपलब्ध कराएगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इसी क्रम में पहला आउटलेट 'खादी लाउंज' पूर्ण रूप से सुसज्जित खादी और ग्रामोद्योग आयोग के परिसर, विले पार्ले, मुंबई में दिनांक 7 जनवरी, 2017 को और दूसरा 17 जनवरी, 2017 को जयपुर में स्थापित किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने एक महीने में ऐसे तीन अन्य अत्याधुनिक और उच्च श्रेणी के बिक्री केंद्रों का उद्घाटन किया है। खादी आउटलेट के लाउंज श्रृंखला का उद्देश्य देश के सर्वोत्तम हस्तनिर्मित कपड़े और उत्पादों को आधुनिक आउटलेट में प्रदर्शित करना है।

इस अवसर पर श्री कलराज मिश्र ने कहा कि खादी का एक वस्त्र खरीदने से एक कारीगर को रोजगार पैदा होता है। उन्होंने कहा, आज एमएसएमई क्षेत्र 94% रोजगार पैदा कर रहा है और केवल 4% सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं, सकल घरेलू उत्पाद विकास का 65% एमएसएमई क्षेत्र से होता है। इसीलिए समय के साथ चलते हुए सभी उत्पादों की जानकारी, खरीद प्रणाली डिजिटल रूप से विकसित की जा रही है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने इस पहल पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 'खादी लाउंज' दिल्ली, मुंबई और जयपुर में खोले गए हैं जिसमें प्रीमियम गुणवत्ता वाले सुन्दर, स्टाइलिश खादी सिल्क

और आधुनिक डिजाईन किये हुए रेडीमेड वस्त्र रखे गए हैं, जो खादी प्रेमियों को सुखद अनुभव व संतोष प्रदान करेंगे। इसके साथ ही खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 'मेक इन इण्डिया' की पहल और प्रधान मंत्री के खादी के दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबध्दता की पुष्टि करता है। इससे रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे, जो ग्रामीण भारत में कारीगरों और विशेष रूप से महिलाओं के गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की बिक्री कर उन्हें सशक्त बनायेंगे। इसके साथ ही यह लाउंज फैशनपरस्त लोगों की जरूरतों को पूर्ण करेगा और खादी की बिक्री में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करेगा तथा कारीगरों को सशक्त बना कर उनकी आजीविका को समृद्ध करेगा।

★★

खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम पर आंचलिक स्तरीय कार्यशाला

खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम पर एक आंचलिक स्तरीय कार्यशाला दिनांक 28 फरवरी 2017 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में आयोग के आंचलिक सदस्य(मध्य क्षेत्र) श्री जय प्रकाश तोमर; आंचलिक सदस्य (दक्षिण क्षेत्र) श्री जी.चंद्रमौली; आंचलिक सदस्य (पूर्व क्षेत्र) डॉ संगीता कुमारी; आंचलिक सदस्य (उत्तर-पूर्व क्षेत्र)); श्री नारायण सी. बोरकाटकी, विशेषज्ञ सदस्य(ग्रामीण विकास) श्री अशोक भगत; विशेषज्ञ सदस्य (विपणन) श्री राजेन्द्र प्रताप गुप्ता के साथ-साथ आयोग की वित्तीय सलाहकार / मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती उषा सुरेश, मुख्य सतर्कता आधिकारी श्री मोहित जैन, तथा आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के.एस.राव और श्री वाई.के.बारामतीकर के अलावा आयोग के निदेशक श्री बाबुल मंडल, श्री राजन बाबू और राज्य निदेशक श्री संजय हेडाऊ ने भाग लिया। कार्यशाला में खादी संस्थाओं के लगभग 100 प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

★★

ऐतिहासिक साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में आयोग की 642वीं बैठक आयोजित

अपने अस्तित्व के 61 वर्षों में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने 27 फरवरी, 2017 को ऐतिहासिक साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में पहली बार बैठक की, जो कि उच्च प्रेरणादायक मूल्यों और प्रतीकात्मकता का एक व्यावसायिक तीर्थ माना जा सकता है।

इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा, "बापू की स्मृति खादी की अंतरात्मा है और साबरमती आश्रम में आयोग की 642 बैठक आयोजित करना, चंपारण आंदोलन की 100 वीं सालगिरह की याद में बापू की

खादी के विकास के प्रति अपना आत्मीय आभार व्यक्त करने का एक तरीका है।

उन्होंने ने कहा, "यह बापू की भावना के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है", कि आयोग इस बैठक में देश के लाखों खादी कारीगरों के कल्याण के बारे में विचार करेगा और महत्वपूर्ण निर्णय लेगा, जो सामाजिक

न्याय के मार्ग पर खादी सेक्टर के विकास के लिए एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

दिलचस्प बात यह है कि गुजरात राज्य ने केवीआईसी को मौजूदा अध्यक्ष श्री वी.के. सक्सेना समेत छह अध्यक्ष दिए हैं, हालांकि यह पहली बार है जब खादी के प्रजनक स्थल साबरमती आश्रम में आयोग की बैठक आयोजित की जा रही है।

★★

पीएमईजीपी योजना के तहत उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संपन्न

उद्योग निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर के सम्मेलन हॉल में 18 फरवरी, 2017 को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के 5 वें और 6 वें बैच के लिए समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रीमती रश्मी सिंह, मुख्य सचिव (उद्योग) और उपाध्यक्ष, अंडमान निकोबार दीप समूह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अतिथि के रूप में उपस्थित थी।

अपने संबोधन में, सचिव (उद्योग) श्रीमती रश्मी सिंह ने देखा कि यह पहली बार है कि पीएमईजीपी योजना के तहत ईडीपी के सफल आयोजन के लिए प्रयासों का तालमेल देखा जा सकता है, जहां अंडमान निकोबार दीप समूह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और डीआईसी जैसे कार्यक्रम क्रियान्वित करने वाली एजेंसियों के अलावा, बैंकिंग संस्थानों, उद्योग निदेशालय, जेएनआरएम, डीबीआरआईटी, पुलिस विभाग, श्रम विभाग, सीएआरआई, एमडीएमई-डीआई और इस तरह की अन्य एजेंसियों ने इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने के लिए न केवल एक सहयोगी तरीके से काम किया बल्कि लाभार्थियों में प्रशिक्षुओं का पोषण किया है। ★★

मुंबई में ओएनजीसी कर्मचारियों के लिए प्रदर्शनी

मुंबई 16 फरवरी, 2017 : खादी और ग्रामोद्योग आयोग व ओ.एन.जी.सी. द्वारा संयुक्त रूप से खादी प्रदर्शनी एवं बिक्री का आज उद्घाटन विले पार्ले (प.) में इर्ला रोड स्थित खादी और ग्रामोद्योग आयोग के परिसर में किया गया। यह प्रदर्शनी समझौते के अंतर्गत ओ.एन.जी.सी. के कर्मचारियों के लिए उन्हें उपलब्ध कराये गए प्रीपेड़ गिफ्ट वाउचर के माध्यम से मनचाही खादी उत्पाद क्रय करने हेतु शुरू की गई है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने अपनी बातचीत में जानकारी दी कि ओ.एन.जी.सी. द्वारा निर्णय लिया है कि वह अपने कर्मचारियों को नकद राशि से तीन गुना अधिक मूल्य के पुरस्कार प्रदान करेगा। ओ.एन.जी.सी. में कुल 35299 कर्मचारी कार्यरत्त हैं, जिसमें 34,236 नियमित और 1063 अनियमित कर्मचारी हैं। श्री सक्सेना ने बताया कि इस अवसर पर कारीगरों को विशेष बिक्री अभियान में शामिल किया गया है, जिसमें उन्हें 5% पुरुस्कार के रूप में प्रदान कर इसे डी.बी.टी. के माध्यम से उनके बैंक खाते में जमा कराया जायेगा।

इस तरह की पहली प्रदर्शनी 16 से 30 जनवरी तक गुजरात के महसना जिले में पहले ही आयोजित की जा चुकी है। अहमदाबाद, बड़ौदा, अंकलेश्वर, हाजिर और खंभात बेसिन जहाँ ओ.एन.जी.सी के सर्वाधिक 11081 कर्मचारी कार्यरत हैं, के लिए 4 से 8 फरवरी 2017 तक दूसरी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसी तरह खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आंध्र प्रदेश में 27 जनवरी से 8 फरवरी तक असम में 1 से 8

फरवरी तक और जयपुर, राजस्थान में 17 जनवरी से 8 फरवरी तक, के लिए क्रमश: सूचीबद्ध तरीके से प्रदर्शनी की गई। इन चार स्थानों के लिए चार अलग अलग दल गठित किये गए हैं।

मीडिया को संबोधित करते हुए श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि इस कार्क्रम से त्रिपक्षीय लाभ जैसे (1)

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की बिक्री हेतु (2) कर्मचारियों के आर्थिक महत्त्व हेतु तथा (3)ओ.एन.जी.सी. के कर्मचारी साख के लिए यह समझौता एक विशिष्ट आदर्श स्थापित करेगा जो ग्रामीण कारीगर समुदाय के स्थायी विकास में सहायक होगा।

उन्होंने ओ.एन.जी.सी. की उदारवादी प्रवृत्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि, सी आर पी एफ, एसआरपी इत्यादि को की गई आपूर्ति सहित ओ.एन.जी.सी. द्वारा 60 करोड़ रु. के थोक क्रय आदेश देने जिससे खादी कारीगरों को 6 लाख मानव श्रम दिन के रोजगार का सृजन होगा एंव इससे खादी संस्थाओं को अधिकतम मार्केटिंग सहयोग प्राप्त होगा।

ओ.एन.जी.सी. के कार्यकारी निदेशक श्री एस. गोपीनाथ ने इस अवसर पर कहा कि ऑइल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड भारत सरकार के अधीन सार्वजानिक क्षेत्र का एक अग्रिणी संगठन है, ने एक सराहनीय और सक्रिय कदम उठाते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत सम्पूर्ण भारत में ओएनजीसी के कर्मचारियों को बोनस के तौर पर जीरो कार्बन फुटप्रिंट के उत्पाद उपलब्ध कराएगा। ओ.एन.जी.सी. सामान्यत: अपने कर्मचारियों को देश सेवा व कठिन श्रम के बोनस के रूप में नकद राशि का संवितरण करता है। इस पहल से मानवीय आधार पर स्वदेशी एवं प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा ओ.एन.जी.सी. के मध्य करार एक जीत है – जीत, जिससे ओ.एन.जी.सी.के कर्मचारियों को पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद प्राप्त होंगें एंव खादी कारीगरों को वृहद् बाजार विस्तार एंव स्थाई रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

★★

अहमदाबाद में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर दो दिवसीय आंचलिक स्तरीय कार्यशाला आयोजित

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय, अहमदाबाद द्वारा कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर आयोजित दो दिवसीय आंचलिक स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद के हीरक जयंती हॉल में आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना के कर कमलों द्वारा किया गया।

उद्घाटन समारोह में गुजरात विद्यापीठ के कुल सचिव श्री राजेंद्र खीमाणी, पॉलिटेक्निक फ़ूड साइंस, आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद के प्रधानाचार्य श्री के.बी.कम्बलिया, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफ़ेसर श्री जे. एस. पाठक, आयोग के उपनिदेशक प्रभारी, मुंबई डॉ. एस. ग्रिप, गुजरात राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारीगण तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि इस कार्यशाला में पश्चिम क्षेत्र के सभी राज्यों- गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव के लगभग 200 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग, केवल खादी वस्त्र के माध्यम से ही रोजगार उपलब्ध नहीं करा रहा हैं बल्कि विभिन्न ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। श्री सक्सेना ने कहा कि केवल गुजरात राज्य में खादी और ग्रामोद्योग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित 5 हजार से ज्यादा इकाइयाँ कार्य कर रही हैं, जिसके माध्यम से लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में चल रही प्रधान मंत्री

रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी बेरोजगार व्यक्ति 25 लाख रुपये तक का ऋण लेकर अपना उद्योग स्थापित कर सकता है, जिसमें 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रदत्त की जाएगी।

श्री राजेंद्र खीमाणी, कुल सचिव, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद ने गाँधी विचारधारा के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि गांधीजी का विचार था कि यदि देश को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से स्वावलंबी

(शेष पृष्ठ 26 पर)

आयोग के अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश की सभी खादी संस्थाओं और राज्य खादी बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

मध्यप्रदेश में खादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने 5 फरवरी, 2017 को राज्य कार्यालय, भोपाल में राज्य के सभी खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं एवं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रतिनिधियों तथा आयोग के राज्य कार्यालय के अधिकारियों से मुलाकात की।

बैठक में आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने केआरडीपी योजना के माध्यम से पुरानी और बीमार खादी संस्थाओं के पुनरुत्थान पर ध्यान केंद्रित किया, इस बैठक में उठाए गए अन्य मुद्दे थे: खादी भंडार का प्रत्यायन, आय से अधिक देनदारियां, उपकरणों की कमी और रखरखाव आदि। आयोग के अध्यक्ष ने खादी सुधार और विकास कार्यक्रम के तहत पांच संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित कर प्राथमिकता के आधार पर खादी संस्थाओं के पोलीवस्त्र प्रमाणपत्र और खादी प्रमाण पत्र को नवीनीकृत करने का निर्देश दिया। चर्चा के दौरान खादी संस्थाओं के लिए विभिन्न बैंकों के बैंक प्रबंधकों के साथ निधि तरलता और पूंजी की कमी से उबरने के लिए बैठक का भी निर्णय लिया गया।

अपने संबोधन में श्री विनय कुमार सक्सेना ने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2 अक्टूबर 2016 को रेडियो पर प्रसारित "मन की बात" को उदृत किया, जिसमें उन्होंने लोगों से खादी खरीदने का आह्वान किया, जिसने देश भर में कार्य करने वाले कारीगरों को सीधे लाभ पहुंचाया हैं, जिसके परिणामस्वरूप खादी की बिक्री में अभूतपूर्व वृध्दि हुई है। खादी कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो एक आदमी और महिलाओं को 13500/- रुपये में चरखा देकर उसके द्वार पर रोजगार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास कारीगरों और बेरोजगार लोगों को शहरों में पलायन को रोकता है।

उपकरणों की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए आयोग के अध्यक्ष ने संस्थाओं को एक शर्त पर आवश्यक उपकरण प्रदान करने के लिए आश्वस्त किया कि संस्थाओं द्वारा कच्चे माल की तरलता और पूंजी स्वयं ही व्यवस्थित की जानी चाहिए।

इससे पहले, आयोग के उप मुख्य कार्यकारी आधिकारी ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष श्री सक्सेना की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। मध्यप्रदेश में खादी ग्रामोद्योगी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से जुड़े सभी मुद्दों पर अध्यक्ष की यह पहल हमें प्रेरित करती कि हम कड़ी मेहनत कर राज्य में खादी ग्रामोद्योग योजनाओं और कार्यक्रमों को सफल बनायें।

बैठक के अंत में आयोग के राज्य निदेशक, भोपाल श्री जे.के.गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापन देकर कार्यक्रम का समापन किया।

★★

कार्यक्रम के दौरान रैंप वॉक, वस्त्र डिजाइनिंग और वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन

भोपाल: खादी प्रचार के लक्ष्य को लेकर एक अनूठे कार्यक्रम, युवा खादी महोत्सव का आयोजन 5 फरवरी, 2017 को गांधी भवन में किया गया। इस अवसर पर इस समारोह में ऐसी व्यवस्था की गई, जहाँ एक खुली बहस के माध्यम से खादी के विभिन्न आयामों को समझने के लिए अवसर प्राप्त करने हेतु एक प्रतियोगिता और एक खादी वस्त्र डिजाइनिंग अभ्यास सत्र भी आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत 'थ्रेडिंग वर्डस्' नामक

नुक्कड़ नाटक से हुई, जिसमें दोनों टीम के वक्ताओं को खादी, उसके पुनरुद्धार और ग्रामीण उद्योगों से संबंधित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए पांच मिनट का समय दिया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपने-अपने विचारों को प्रस्तुत किया और इस विषय के बारे में अपनी तन्मयता से ज्ञान और अनुभवों

का प्रदर्शन किया। आगे बढ़ते हुए, एक अन्य गतिविधि 'डिजाइन द व्हील' - एक डिजाइन प्रतियोगिता - जिसमें प्रतिभागियों को उन्हें दिए गए कपड़े डिजाइन करना था। अंतिम परिणाम बहुत ही बढ़िया साबित हुआ, चाहे वह कुछ गौण, वास्तविक कपड़े या लैपटॉप के कवर थे जो सभी खादी कपड़े से बुने गए थे।

विशेष बच्चों ने खादी उत्सव में लगाये चार चाँद

कार्यक्रम के दौरान एक फैशन शो भी आयोजित किया गया, जिसमें अरुषि संस्था के बच्चों ने रैंप पर चलते हुए, खादी से बने पोशाक पहने, सभी बच्चे खादी धोती पैंट, नेहरू जैकेट, शर्ट आदि में बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रहे थे।

कार्यक्रम संयुक्त रूप से खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तत्वावधान में महात्मा गांधी सेवा आश्रम, जौरा (एमजीएसए) के साथ आयोजित किया गया था।

खादी कैटवाक किसी पेशेवर मॉडल द्वारा नहीं, बल्कि एक एनजीओ, अरुषि के विशेष रूप से विकलांग छात्र द्वारा खादी फैशन शो प्रस्तुत किया गया।

मुख्य अतिथि श्री विनय कुमार सक्सेना ने इस अवसर पर कहा, "मैं युवाओं के बीच खादी के लिए उत्सुकता देखकर खुश हूं। मैं आशा करता हूं कि हर युवा खादी को सजाना और अपने संग्रह में शामिल करना चाहता है। यह अद्भुत और सुंदर है।" ★★

स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सभी 23 अस्पतालों को केवल खादी उत्पादों का इस्तेमाल करने का आदेश दिया

केवीआईसी को 150 करोड़ रुपए का आर्डर

केवीआईसी ने पिछले छह महीनों में कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों जैसे ओएनजीसी (अपने 35,000 कर्मचारियों के लिए) रेडीमेड गारमेंट्स (52 करोड़ रुपए की आपूर्ति), रेलवे (42 करोड़ रूपए के बेड शीट, तकिए के कवर और कंबल आदि की आपूर्ति), एयर इंडिया (अपने प्रथम श्रेणी और बिजनेस क्लास यात्रियों के लिए 35,000 अमेनिटीज किट की आपूर्ति के लिए 11.1 करोड़ रूपए), एनटीपीसी (23,000 रेशम के जेकेट की आपूर्ति के लिए 5 करोड़ रूपये) जे के व्हाइट सीमेंट (वर्दी की आपूर्ति के लिए 17 लाख रुपये) आदि से वृहद् मात्रा में ऑर्डर हासिल किए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय से सबसे बड़ा ऑर्डर 16 फरवरी 2017 को हासिल किया है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री वी. के. सक्सेना ने कहा कि 'स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने अस्पतालों और कर्मचारियों के लिए खादी को अपनाने पर सहमति दी है, खादी एक प्राकृतिक और जैविक त्वचा अनुकूल कपड़े का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के खादी को बढ़ावा देने के विचार ने हमें बहुत ही गौरवान्वित किया है। हम, श्री जे.पी. नड्डा जी का मेडिकल स्टाफ के लिए खादी को निर्धारित करने तथा अग्रणी आर्डर के लिए उनका आभारी हूं। स्वास्थ्य मंत्रालय से 150 करोड़ रुपये का आर्डर मिलाने पर बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि खादी कारीगरों की आजीविका पर इसका प्रभाव पड़ा है और यह कारीगरों को संतुष्टि देता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश के आधार पर पूरे देश में केंद्र सरकार के 23 अस्पतालों और मेडिकल अनुसंधान संस्थान जैसे एआईएमएस, पीजीआईएमआर,निमहंस, एआईएचपीएच आदि खादी उत्पाद खरीदेंगे। मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 46 खादी उत्पादों में बीएड शीट, अबडोमेन शीट, ड्रेसिंग तौलिए, सर्जन गाउन, सर्जिकल रोगी गाउन, कुर्ता पायजामा, डॉक्टर के कोट, सोप, हैण्ड सेनीटाईजर, खादी फिनाइल और हर्बल शैम्पू आदि शामिल हैं। 23 हॉस्पिटल और संस्थानों द्वारा खरीदी जा रहे उत्पाद मदों की लागत 150 करोड़ रु होगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, प्रत्येक अस्पताल के जरुरत के अनुसार इन सामग्रियों की आपूर्ति 7 से 8 माह की अवधि में करेगा।

सभी 45 वस्तुओं की सूची स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ जुड़े अस्पतालों और स्वायत्त संस्थानों के 'विशेष' उपयोग के लिए परिचालित की गई है। पिछले साल नवंबर में स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा से मुलाकात करने के पश्चात् खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री वी. के. सक्सेना ने मंत्रालय द्वारा स्थापित एक समिति की सिफारिश के आधार पर सूची को अंतिम रूप दिया था। यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए सबसे बड़ा संस्थागत आदेश है।

पिछले साल, खादी उत्पादों की 1,510 करोड़ रुपये की बिक्री हुई और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 35% बढ़ने का अनुमान है। पिछले कुछ सालों में बिक्री में तेजी आयी है क्योंकि सरकार ने खादी को आगे बढाया।

जबकि मांग तेज गति से बढ़ रही है, उच्च मांग को पूरा करने के लिए केवीआईसी, प्रतिष्ठित खादी ब्रांड को पुनर्जीवित कर रही है। केवीआईसी ने एमएसएमई मंत्रालय से प्राप्त अनुदानों से बंद संस्थाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है और इसके लिए कुल 7.23 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। पुराने चरखे और करघे को बदलने और उत्पादन को पुनर्जीवित करने के लिए पिछले महीने के दौरान १४३ संस्थाओं को जिसमें

एम.पी. और बिहार से 16 पुरानी खादी संस्थाए शामिल हैं। 2 अक्टूबर 2016 को, केवीआईसी ने 'खादी संस्थाओं के पंजीकरण और प्रमाणन सेवा' शुरू की। यह एफएनवाई खादी संस्थाओं के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल व्यवस्था है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में खादी गतिविधियों से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा। इस सरलीकृत पंजीकरण सेवा द्वारा एक नई खादी संस्था के पंजीकरण की अवधि को 3 साल से कम करके 45 दिन कर दिया गया है|

इस ऑनलाइन पंजीकरण सेवा की पहल से 2 अक्टूबर 2016 से 20 फरवरी 2017 तक 160 नए खादी संस्थाओं ने उत्पादन हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। इससे न केवल खादी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के द्वार पर रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा और नए खादी कारीगरों को खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा।

★★

विशाखापत्तनम में पीएमईजीपी योजना पर बैंकर्स समीक्षा बैठक

आयोग के मंडलीय कार्यालय, विशाखापत्तनम में पीएमईजीपी योजना पर एक बैंकर्स समीक्षा बैठक आयोजित की गई, बैठक की अध्यक्षता मंडलीय कार्यालय के निदेशक श्री आर.के चौधरी द्वारा की गई. बैठक में श्री सरथबाबू, एलडीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विशाखापत्तनम, श्री शिव शंकर, निदेशक, आरएसईटीआई, विजयनगरम और एलडीएम, एसबीआई, विजयनगरम ने भाग लिया।

प्रारंभ में, आयोग के मंडलीय कार्यालय, विशाखापत्तनम के निदेशक श्री आर.के चौधरी ने पीएमईजीपी योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्धी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना कार्यान्वयन और ऑनलाइन प्रणाली हेतु निर्धारित कार्य योजना के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी।

श्री आर.श्रीनिवास राव, सहायक निदेशक - II ने पीएमईजीपी के ऑनलाइन प्रणाली के बारे में बताया और सूचित किया कि सभी 5 जिलों में स्थित एसबीआई और आंध्र बैंक के प्रधान प्रशिक्षण केंद्र, वर्ष 2016-17 के पीएमईजीपी उद्यमियों को ईडीपी प्रशिक्षण देने हेतु तैयार हैं।

श्री सराथ बाबू, एलडीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विशाखापत्तनम ने कहा कि एलडीएम द्वारा संबंधित बैंकों को निर्देश जारी किए जाएंगे। सभी बैंकरों ने आश्वासन दिया कि परियोजनाओं के आधार के लिए अग्रेषित किए गए आवेदनों को संबंधित बैंकों द्वारा फरवरी 2017 के अंत से पहले मंजूरी दे दी जाएगी।

विशाखापत्तनम जिले के दो सफल पीएमईजीपी उद्यमियों ने भी बैठक में भाग लिया। मंडलीय कार्यालय, विशाखापत्तनम के सहायक निदेशक श्री ए. जी. राव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का संपन्न हुआ।

आयोग ने रेग्युलेशन्स उल्लंघन हेतु फैब इंडिया को भेजा नोटिस

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने फैबइंडिया को कानूनी नोटिस भेजा है। आयोग का कहना है कि फैबइंडिया अपने सूती के रेडीमेड परिधानों को खादी उत्पाद के रूप में बेच रहा है। आयोग के मुताबिक, इसके लिए कंपनी ने उससे स्वीकृति भी नहीं ली है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने लीगल नोटिस में कहा है कि इस शब्द का प्रयोग अनुचित व्यापार व्यवहार है और उसके व्यापार के नाम का दुरुपयोग है. यदि फैबइंडिया इस अनुचित व्यवहार पर तुरंत रोक नहीं लगाता है तो आयोग उसके खिलाफ लीगल कार्यवाही करेगा।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कहा है कि फैब इंडिया अपने सूती के रेडीमेड परिधानों को 'खादी' उत्पाद बता के बेच रहा है। आयोग का कहना है कि फैबइंडिया पर खादी मार्क रेग्युलेशन्स, ट्रेडमार्क उल्लंघन, अनुचित व्यापार और धोखा के तहत कार्रवाई की मांग की जाएगी।

फेब इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विनय सिंह को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक, कानूनी मामले ने कड़े शब्दों में दिए कानूनी नोटिस में कहा कि संगठन ने खादी के नाम और शैली में अपने वस्त्रों की विक्री करना जारी रखा, जबकि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पूर्व में चेतावनी दी थी और फेब इंडिया द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगा|

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा अधिसूचित खादी मार्क विनियमन-2003 के अनुसार, विनियमन के तहत समिति द्वारा जारी "खादी मार्क" टेग या लेबल किसी भी वस्त्र या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी भी रूप में या तरीके से 'खादी' या 'खादी उत्पादों' के रूप में प्रमाणित खादी संस्था द्वारा बेचा नहीं जाएगा।

अन्य बातों के अलावा, प्रत्येक व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्थायें जो खादी या खादीउत्पादों के रूप में उत्पादों की बिक्री के कारोबार में लगे कुछ दायित्वों को लागू करता है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने फैब इंडिया ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड को पहले भी एक लीगल नोटिस भेजा था कि वो अपने सभी सूती उत्पादों के टैग में खादी शब्द का इस्तेमाल करना तुरंत बंद करे।

नोटिस में आयोग ने फैबइंडिया को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर कंपनी इस अवधि में अपना पक्ष नहीं रख पायी तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) खादी मार्क रेग्युलेशन के उल्लंघन के लिए आगे की कार्रवाई करेगा। नोटिस में कहा गया है कि फैब इंडिया द्वारा खादी उत्पाद के रूप में बेचे गए कपड़ों और इनकी कीमतों की गंभीरता से जांच करने के बाद पता चला कि फैब इंडिया ने इन कपड़ों को 'फैब इंडिया कॉटन' का लेबल लगा रखा है।

नोटिस में कहा गया है, 'कपड़ों के प्राइस टैग पर खादी शब्द लिखा हुआ है। इससे खुद ही पता चलता है कि फैबइंडिया खादी प्रॉडक्ट्स नहीं बेच रहा, बल्कि बाद में हटाए जा सकने वाले प्राइस टैग पर खादी शब्द लिखकर ग्राहकों को गुमराह कर रहा है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष, श्री वी.के. सक्सेना ने कहा कि केवीआईसी अपनी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए बहुत उत्सुक रहा है और उनके खिलाफ कड़े कदम उठाएगा, जो उनके ग्रामीण कारीगरों के लाभ के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हैं। ★★

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य की खादी व ग्रामोद्योग इकाईयों का दौरा

श्रीमती अन्शु सिन्हा, आई.ए.एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई ने दिनांक 15.02.2017 को हरियाणा राज्य में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत स्थापित इकाईयों तथा खादी उत्पादन, बिक्री आदि की गतिविधियों का अवलोकन किया।

उन्होंने पानीपत में फर्नीचर इकाई व कारपेट तथा सोफा कपड़ा निर्माण करने वाली इकाईयों का भ्रमण कर कारीगरों से उत्पादन, बिक्री एवं उनकी मजदूरी के बारे में चर्चा की।

उन्होंने जिला कुरुक्षेत्र के गांव ज्योतिसर में स्थित खादी कताई केन्द्र तथा गांव मिर्जापुर में स्थित बुनाई केन्द्र, सीएफसी व खादी भंडार का अवलोकन किया। जहां उन्होंने कत्तिनों एवं बुनकरों से चर्चा की ओर खादी उत्पादन व कारीगरों की आमदनी बढ़ाने के बारे में किये जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने की सम्भावनाएं है। खादी और ग्रामोद्योग प्रयासरत है कि खादी संस्थाएं सुदृढ हो तथा उनका सशक्तिकरण हो जिसके लिए खादी संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक मदद भी मुहैयया कराई जा रही हैं। खादी संस्थाओं को खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मदद लेने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि कत्तिनों को नये चरखे, बुनकरों को नये करघे प्राप्त हों, खादी भंडारों का नवीनीकरण हो, कारीगरों की मजदूरी बढ़े और खादी उत्पादन के साथ साथ बिक्री में भी वृद्धि हो।

उन्होंने पीएमईजीपी इकाईयों तथा खादी संस्थाओं को सुझाव दिया कि वह कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दें, इकाई में स्वच्छ एवं सद्भावपूर्ण वातावरण बनाएं, उत्पादों की पैकिंग सुन्दर एवं आकर्षक तरीके से करें ताकि उनकी इकाई एक सक्षम इकाई बन सके।

उन्होनें यह भी सुझाव दिया कि जिन गांवों में कारीगर कताई एवं बुनाई का कार्य करते हैं उनके लिए बैंकिंग प्रणाली तथा नगदी रहित लेन देन के बारे में शिक्षित करने हेतु जागरुकता शिविर आयोजित किये जाएं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया के हरियाणा भ्रमण के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग, नई दिल्ली के श्री एस.एन.शुक्ला, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा श्री वी.के.नागर, राज्य निदेशक हरियाणा उपस्थित थे।

हाथकागज़ एवं रेशा उद्योग पर अखिल भारतीय तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन

आयोग के राज्य कार्यालय, केरल के समन्वय में २ और 3 फरवरी 2017 को होटल क्लासिक सरोवर पोर्टिको, मंजलीकुलम रोड, थंपनूर तिरुवनंतपुरम में हाथकागज़ एवं रेशा उद्योग पर एक दो दिवसीय अखिल भारतीय तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

संगोष्ठी का उद्घाटन आयोग के माननीय सदस्य, दक्षिण क्षेत्र, श्री जी. चंद्रमौली द्वारा किया गया और आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जी. गुरूप्रसन्ना ने राज्य निदेशक, त्रिवेन्द्रम तथा निदेशक, हाथकागज़ एवं रेशा उद्योग की उपस्थिति में संगोष्ठी की अध्यक्षता की।

संगोष्ठी में देशभर से आयी लगभग सभी 82 हाथकागज़ एवं रेशा उद्योग इकाइयों ने भाग लिया और हाथकागज़ एवं रेशा उद्योग के तकनीकी अधिकारी भी शामिल हुए।

इस अवसर पर आयोग के राज्य निदेशक, त्रिवेन्द्रम/ प्रबंधक, खादी भवन, एर्नाकुलम श्री आई. जवाहर ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उद्योग के पुनरुद्धार की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने पेपर डिजाइन बैंक बनाने और उत्पादों को सूचीबद्ध, करने पर जोर दिया तथा बेहतर उत्पादन और गुणवत्ता के लिए उपयुक्त तकनीक को अपनाने हेतु भागार्थियों को प्रेरित किया।

इससे पहले, आयोग के माननीय सदस्य, दक्षिण क्षेत्र, श्री जी. चंद्रमौली, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जी. गुरूप्रसन्ना, राज्य निदेशक, त्रिवेन्द्रम/ प्रबंधक, खादी भवन, एर्नाकुलम श्री आई. जवाहर, निदेशक, हाथकागज़ एवं रेशा उद्योग श्री के.जे. भोसले तथा वैकुंठभाई मेहता इंस्टीट्यूट, मुंबई के निदेशक, श्री ए.के. द्विवेदी ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया।

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जी. गुरूप्रसन्ना ने संबोधित करते हुए 1980 के दशक की यादों को स्मरण करते हुए बताया कि पहले जब केवीआईसी कार्यालय में सभी प्रकार की स्टेशनरी के लिए हाथकागज़ का उपयोग होता था और वर्तमान में केवीआईसी के कार्यालयों में शायद ही हाथकागज़ का उपयोग किया जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि तकनीक प्रयोगशाला से भूमि तक पहुंचाई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हस्तनिर्मित कागज का उत्पादन आम जनता द्वारा किया जाना चाहिए और बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं करना चाहिए। उन्होंने, निदेशक (हाथकागज़ एवं रेशा उद्योग) को पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजना प्रोफाइल तैयार करने की सलाह दी और उन्होंने आशा व्यक्त की, कि हाथकागज़ एवं रेशा उद्योग की भलाई के लिए कुछ अच्छे परिणाम संगोष्ठी में आएंगे।

आयोग के माननीय सदस्य, दक्षिण क्षेत्र श्री जी.

चंद्रमौली ने गांधीजी की विचार-धारा के बारे में उल्लेख करते हुए अपने उद्घाटन भाषण में इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि आज तक केवीआईसी द्वारा एक ही गांधी विचारधारा को बनाए रखा गया है।

उन्होंने कहा कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को विशेष क्षेत्र और गांवों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने गांधीग्राम विश्वविद्यालय में श्री जे सी कुमारप्पा के संग्रहालय और इसके समृद्ध विरासत को भी संदर्भित किया, उन्होंने कहा, हालांकि वर्तमान में हाथकागज़ एवं रेशा उद्योग धीरे धीरे कम हो रहा है। उन्होंने लुधियाना में दिए गए प्रधान मंत्री के नारे "ग्रामीण उत्पादों को वैश्विक स्तर तक ले जाना है" को भी उद्धृत किया।

उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि फाइबर और हस्तनिर्मित पेपर उद्योग की यह छोटी प्रदर्शनी एक आंख खोलने वाली है और आशा व्यक्त की कि इस तरह की तकनीकी सेमिनारों को फलदायी परिणाम मिलेगा। उन्होंने यह भी जोर दिया कि विचार और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान के लिए हर साल इस तरह के सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिए।

संगोष्ठी के अंत में, आयोग के हाथकागज़ एवं रेशा उद्योग निदेशक श्री के.जे. भोसले ने संगोष्ठी में आये पदाधिकारियो का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया।

★★

केएनएचपीआई के वैज्ञानिक को सम्मान

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विजयन भारती द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारत सरकार के तत्वाधान आयोजित आई.आई. एस.एफ.-2016, एक अंतर्राष्ट्रीय मेगा आयोजन में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राष्ट्रीय कुमारप्पा हाथकागज़ संस्थान (के. एन.एच.पी.आई.) की वैज्ञानिक,

श्रीमती साक्षी अग्रवाल को उनकी दूसरी सबसे अच्छी प्रस्तुति के लिए सम्मानित किया गया।

उन्होंने 7-11 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के परिसर में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2016 में युवा वैज्ञानिक कन्क्लेव में "स्वच्छ भारत" पर एक प्रस्तुति दी, उन्हें दूसरी सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति के रूप में सम्मानित किया गया। ★★

सौर ऊर्जा से चलने वाले 12-स्पिंडल हाई स्पीड अम्बर चरखे का डिजाइन और विकास

(खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति – अहमदाबाद द्वारा विकसित और खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वित्तपोषित परियोजना)

पृष्ठभूमि :

कताई टेक्सटाइल क्षेत्र में वर्तमान आधुनिक विकास के सन्दर्भ में, अंबर चरखा की पारंपरिक तकनीकी, जिसका इस्तेमाल तुलनात्मक रूप से पुरातन छोटे पैमाने पर/ ग्रामीण उद्योगों में लोगों द्वारा किया जाता है।

अम्बर चरखा के विभिन्न घटकों को सावधानीपूर्वक नए रूप में डिजाइन करने और इसमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, इसके अधिकांश ऑपरेटरों को विभिन्न प्रक्रिया मापदंडों और विभिन्न भागों की स्थिति तथा उनके कार्यों के बारे में जानकारी नहीं है। इसके लिए अम्बर चरखा का व्यापक अध्ययन करने की आवश्यकता है जो इसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के प्रयासों में मदद करे।

पारंपरिक मध्यम गति के अम्बर चरखा का उत्पादन दर बेहद कम पायी गयी है। इसके अलावा, खासकर मजबूती और दोष के मामले में अम्बर चरखा पर उत्पादित सूत की गुणवत्ता भी कमजोर पायी जाती है, । इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित कमियों के प्रमुख कारण निम्नानुसार है :-

1) चरखा की खराब मैकेनिकल स्थिति (जैसा कि चित्र १ और २ में दिखाई गयी है)।

2) चरखा के विभिन्न घटकों की खराब डिजाइन (जैसा कि चित्र 3 और 4 में दिखाई गयी है)।

३) मापदंडों का गैर-अनुकूलन (जैसा कि चित्र 5 और 6 में दिखाई गयी है)।

4) चरखा चालकों को अम्बर चरखा के सम्बन्ध में जानकारी की कमी जैसेकि अम्बर चरखा का सर्वश्रेष्ठ परिणाम कैसे प्राप्त करें (जैसा कि चित्र 7 और 8 में दिखाया गया है)।

चित्र 1:
खराब मशीन स्थिति

चित्र 2:
रिंग के सम्बन्ध में
स्पिंडल का गलत-संरेखण

चित्र 3 :
घिसा हुआ गियर

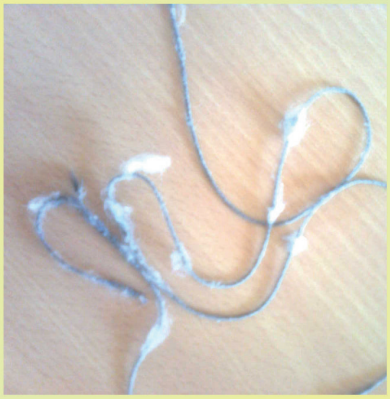

चित्र 4 :
स्पिंडल रस्सी की
खराब गुणवत्ता

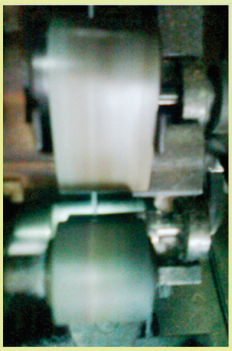

चित्र 5 :
चौडे शीर्ष
अग्र भाग सेटिंग

चित्र 6 :
चरखा पर चलने वाली कोट
की क्षतिग्रस्त सतह

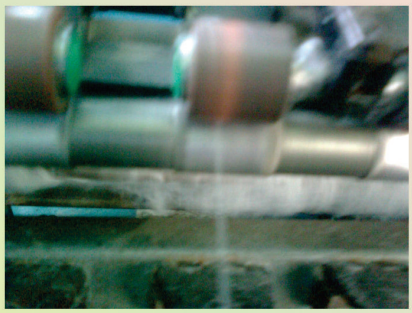

चित्र 7 व 8 :
रोलर्स और आर्बर पर बहुत ज्यादा फाइबर संचय

इन कमियों का समाधान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग प्रयोग समिति (केजीपीएस-अहमदाबाद) ने प्रयास किए हैं और नए प्रकार का सौर ऊर्जा चालित १२ स्पिंडल हाई स्पीड अम्बर चरखा विकसित किया है, जिसे नीचे चित्र ९ में दिखाया गया है।

चित्र 9:
केजीपीएस द्वारा विकसित
हाई स्पीड 12 स्पिंडल अम्बर चरखा

उपयुक्त डिजाइन और विकास/संशोधनों, उपयुक्त प्रक्रिया मापदंडों को उपयोग में लाने के साथ-साथ कौशल गतिविधियों को भी उन्नत किया गया, जिससे खादी क्षेत्र के लिए विकसित किये गए अम्बर चरखा के माध्यम से उत्पादित सूत की प्रसंस्करण लागत में कमी आयी है। चरखा की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए मशीन के अंत-टूटने की दर को कम करने के प्रयास किए गए विशेष रूप से अम्बर चरखा के कमियों और इसके कार्य करने के सीमाओं पर विचार किया जा रहा है| अम्बर चरखे के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए केजीपीएस ने निम्न लिखित विचार रखे हैं:

1. मशीन के महत्वपूर्ण हिस्सों में संशोधन और 12000 आरपीएम स्पिंडल स्पीड क्षमता पर 12 सौर ऊर्जा से चलने वाले स्पिन्डल में परिवर्तित करना।
2. रोइंग ट्रॉप्स, बलून को नियंत्रित करना, ड्राफ़िंग डिवाइस सिस्टम का प्रारंभ।
3. चरखा की विभिन्न मैकेनिकल गति और सेटिंग्स से संबंधित पैरामीटर अनुकूलित होना।
4. अभिनव कार्य के प्रभाव का आकलन करने के लिए और उपरोक्त कार्य के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करना।
5. चरखा का कैसे रखरखाव रखा जाय, इसके लिए चरखा चालकों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाय।

पारंपरिक चरखा एंव हाई स्पीड आधुनिक अम्बर चरखा के मध्य तुलना

पारंपरिक चरखा एंव संशोधित उच्च गति के अम्बर चरखाओं के मध्य कार्यक्षमता की तुलना करने के लिए केजीपीएस द्वारा विभिन्न प्रयोगों का आयोजन किया गया था। निम्नलिखित तालिका में कुछ औसत परिणाम संक्षिप्त में दिए गए हैं

मानदंड	पारंपरिक अम्बर चरखा	संशोधित उच्चगति का अम्बर चरखा
सूत काउंट स्पन (एन एम)	50.0	50.5
सूत सीएसपी	1846	2076
यूस्टर यू%	21.3	19.6
अपूर्णता / कि.मी.	6824	5672
धागा टूटने /100 स्पिंडल घंटे	89	38
वास्तविक उत्पादन (जीएसएस)	50	105

प्राप्त नतीजे / परिणाम :-

अ. संशोधित अम्बर चरखा के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए नए प्रकार के पार्ट्स/ प्रणालियां व्यवहारिक रूप में सफल है और विकसित चरखे को उपयोग में लाने के पश्चात इस पर कार्य करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं देखी गई थी।

आ. पारंपरिक अम्बर चरखा की प्रमुख कमियां, नए सौर अम्बर चरखा में उपयुक्त संशोधनों को लागू करने से दूर हो सकती हैं।

इ. स्पिन्डल की संख्या 8 से बढ़ाकर 12 करके और स्पिंडल की गति को सोलर मोटर का उपयोग करके मौजूदा 7000 से 12000 आरपीएम तक बढ़ा दिया गया है।

ई. संशोधित अम्बर चरखे को सफलतापूर्वक उच्च स्पिंडल गति पर चलाया जा सकता है और विभिन्न रेशों के बहु-अंक सूत का उत्पादन करने में सक्षम है।

उ. परंपरागत चरखे की तुलना में विकसित सौर चरखे की उत्पादन दर काफी मात्रा तक बढ़ गयी है; यानी औसतन 35 हैंक से सूत के 80 से 100 हैंक तक।

ऊ. विकसित चरखे में न्यूनतम दर से सूत टूटता है अर्थात 30 से 40 प्रति घंटे 100 स्पिंडल की दर से टूटता है।

ओ. विकसित चरखा से उत्पादित सूत की गुणवत्ता (मजबूती, यू%, खामियों आदि के संदर्भ में) पारंपरिक चरखा के सूत से काफी अधिक है।

औ. उपर्युक्त लाभों के कारण कारीगरों के साथ-साथ खादी सेक्टर के अर्जन में सुधार की संभावना है। दूसरे शब्दों में, कारीगर के अर्जन में चार गुना वृद्धि होने की संभावना है अर्थात मौजूदा अर्जन 100 रुपये के बजाय औसत 400 रुपये प्रति चरखा।

इसके अलावा, सूत की कम टूटन और सौर ऊर्जा के कारण एक कारीगर एक समय में दो उच्च गति के अम्बर चरखा को संभाल सकता है और इस तरह से कारीगर की दोहरी कमाई संभव हो सकती है।

साबरमती आश्रम में आयोग की 642वीं बैठक आयोजित

27 फरवरी, 2017 को स्वतंत्रता संग्राम का मुख्यबिन्दु रहे ऐतिहासिक केन्द्र साबरमती आश्रम परिसर में आयोग की 642वीं बैठक आयोजित की गयी, यहीं से ही ऐतिहासिक दांडी मार्च -नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरूआत हुई थी, और यह उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है जो समाज कल्याण के लिए गांधीजी और उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं।

इस बैठक की अध्यक्षता श्री विनय कुमार सक्सेना, अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा की गई । उपरोक्त बैठक में आयोग के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे: श्री जय प्रकाश तोमर, आंचलिक सदस्य (मध्य अंचल), श्री जी. चन्द्रमौलि, आंचलिक सदस्य (दक्षिण अंचल), डॉ संगीता कुमारी, आंचलिक सदस्य (पूर्व अंचल), श्री नारायण सी. बोरकाटकी, आंचलिक सदस्य (पूर्वोत्तर अंचल), श्री अशोक भगत, विशेषज्ञ सदस्य (अनुसंधान एवं विकास), श्री राजेंद्र प्रताप गुप्ता, विशेषज्ञ सदस्य (विपणन), सुश्री सुमन लता गुप्ता, उप महा प्रबंधक, लघु एवं मध्यम उद्यम, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, श्री बी.एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), श्री दी.पी.एस. नेगी, आर्थिक सलाहकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), श्रीमती ऊषा सुरेश, वित्तीय सलाहकार/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, श्री मोहित जैन, मुख्य सतर्कता अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं आयोग के सभी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की विरासत को ध्यान में रखते हुए, जो कि गांधीजी की आत्म-निर्भरता तथा ग्रामीण कामगारों के लिए रोजगार सृजन के दर्शन पर निर्मित है; खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए:

- **खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विभागीय बिक्री केन्द्रों में कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बिक्री प्लैटफार्म प्रदान करना:**

१. अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया कि महात्मा गांधी द्वारा परिकल्पित 'ग्रामोद्योग' की वृहद विचारधारा यह रही है कि व्यक्तिगत तौर पर तथा लाभ से वंचितों द्वारा लघु उद्योगों के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाए; जिससे कि उनको गतिविधियों की मुख्यधारा में लाया जाए जो उन्हें पोषणीय रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

अध्यक्ष महोदय ने आगे उल्लेख किया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आत्मनिर्भता, पोषणीय विकास, व्यक्तिगत सशक्तिकरण और आजीविका सहायता के आदर्शों के साथ इस विचारधारा को आगे बढ़ाया है, जो उनकी जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाए और इसी क्रम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने हाल ही में किए गए प्रयास के रूप में जीवन संबल विकास कौशलों को विकसित करने के लिए कैदियों को प्रोत्साहित कर रहा है, क्योंकि खादी और ग्रामोद्योग आयोग का ऐसा मानना है कि यह प्रयास व्यक्तिगत परिवर्तनों के साथ- साथ उनके सामाजिक समावेश को परिलक्षित करेगा।

2. गुड़गांव और तिहाड़ जेल के कैदियों द्वारा निर्मित उत्पादों से पता चलता है कि वे उच्च गुणवत्ता के हैं और बाजार में उनकी काफी अच्छी मांग है।
3. आगे, आयोग ने निर्णय लिया कि कैदियों द्वारा निर्मित विशेष गुणवत्ता के उत्पादों की बिक्री को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सभी विभागीय बिक्री केन्द्रों में प्रोत्साहित किया जाएगा जो उनके व्यक्तिगत परिवर्तन और कैदियों की जीवन संबल प्रणाली को बेहतर बनाएगा।
4. आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि खादी संस्थाओं/ एमडीटीसी/ संस्थागत प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा ऐसी संभावनाओं/समझौतों को संबंधित राज्य/जिलों में जेल विभाग के प्राधिकारियों के साथ विकसित/खोजा जाना चाहिए, जिससे कि इस परियोजना पर आगे कार्य किया जा सके।

- **आयोग ने राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग भवन, बाढ़मेर (कोड सं. 709) तथा अहमदाबाद में अगरबत्ती पर पायलट परियोजना (कोड सं.827) के निष्क्रिय व्यापार लेखा को बंद करने के संबंध में** लेखा-परीक्षा निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की तथा दोनों ही लेखों की बहियों में आवश्यक प्रविष्टियां करते हुए हिसाब चुकता करने हेतु

सैद्धांतिक सहमति प्रदान की।

• **आयोग ने ग्रामोद्योग निदेशालय के सौर चरखा पायलट परियोजना के वर्कशेड घटक को ग्राम निर्माण मंडल, गया से खानवा में कार्यरत भारतीय हरित खादी ग्रामोद्योग संस्थान, लखनऊ को स्थानांतरित करने के संबंध में प्रस्ताव पर विस्तारपूर्वक चर्चा की और निम्नानुसार निर्णय लिया:**

• चूंकि, ग्राम निर्माण मंडल, गया द्वारा बार-बार अनुस्मारक/अनुरोध किए जाने के बाद भी कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया गया है, आयोग ने निर्णय लिया कि ग्राम निर्माण मंडल, गया को 10 दिनों की मोहलत और दी जाए, जिससे कि यह सौर चरखा पायलट परियोजना के वर्कशेड घटक का उपयोग कर सके, ऐसा न किए जाने पर राशि को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संस्था से वापस ले लिया जाएगा और इसे पात्र इकाइयों/संस्थाओं को उपयोग के लिए दिया जाएगा। राज्य निदेशक द्वारा ग्राम निर्माण मंडल को इस आशय का एक पत्र जारी किया जाएगा तदोपरान्त उनकी विफलता पर, उक्त घटक के कार्यान्वयन हेतु किसी अन्य संस्था का नाम प्रस्तावित किया जाएगा।

• **आयोग ने सरकारी आपूर्ति के लिए दर संविदा एवं गैर दर संविदा मदों हेतु सूचीबद्ध खादी संस्थाओं से 01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के लिए प्रति उत्पाद पंजीकरण शुल्क प्रभारित करने के संबंध में विपणन निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की और अनुमोदन प्रदान किया।**

• **सीधी भर्ती के अंतर्गत 334 पदों को भरने के लिए मैसर्स एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा को नामांकन आधार पर संलग्न करने हेतु प्रशासन निदेशालय का प्रस्ताव।**

1. आयोग ने सीधी भर्ती के अंतर्गत 334 पदों को भरने के लिए मैसर्स एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा को नामांकन आधार पर कार्य सौपने हेतु प्रशासन निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की और उक्त पर सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया।
2. आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एडसिल द्वारा अग्रिम तौर पर भुगतान की मांग के मुद्दे पर संयुक्त सचिव, मानव संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली तथा संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ चर्चा करें। विशेषज्ञ सदस्य (विपणन) ने अवगत कराया कि वे भी इस मामले में सहयोग प्रदान करेंगे।

• **लेखापरीक्षा निदेशालय का प्रस्ताव (1) पुराने तथा लंबे समय से लंबित विविध खर्चों एवं हानियों का समायोजन/विनियोग करने के लिए, और (2) जगदलपुर (कोड संख्या 834) की निष्क्रिय व्यापार इकाई को बंद करने के लिए।**

आयोग ने विभिन्न विभागीय व्यापार इकाइयों की रु.18.78 लाख तक की 'विभिन्न खर्चों और हानियों' इत्यादि (लेखा कोड सं.1064 एवं 1065) के संबंध में तथा रु.2.49 लाख की राशि के 'एकत्रण हेतु प्रेषित बिल' जो कि लंबे समय से व्यापार वार्षिक लेखों में दिख रहे हैं, के संबंध में लेखापरीक्षा निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की और इनके समायोजन/विनियोग पर अनुमोदन प्रदान किया।

आयोग ने ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अंतर्गत जगदलपुर (कोड संख्या 834) की निष्क्रिय व्यापार लेखा का ग्रामोद्योग कार्यक्रम की लेखों बहियों में आवश्यक प्रविष्टियां करते हुए हिसाब चुकता करने हेतु अनुमोदन प्रदान की।

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के दो पदों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (समूह-अधिकारी) की सिफारिशों को अनुमोदित करने हेतु प्रशासन निदेशालय का प्रस्ताव।

1. आयोग ने उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद को भरने तथा पदोन्नति आदेशों के संबंध में दिनांक 13.02.2017 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (समूह-ए अधिकारी) की बैठक की सिफारिशों पर चर्चा की और इसे अनुमोदित किया, और निर्देशित किया कि जहां तक कि पदोन्नत अधिकारी के मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का प्रश्न है, पदोन्नत अधिकारियों को बिना किसी विलंब के इसका अनुपालन करना चाहिए।
2. आगे, आयोग ने एक ऐसी नीति तैयार करने का निर्णय लिया कि यदि निदेशकों को भविष्य में उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे केन्द्रीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई में तीन वर्षों के लिए कार्यरत रहें । आयोग की

स्थानांतरण नीति भी तैयार की जानी चाहिए और उसे आयोग की आगामी बैठक में रखा जाना चाहिए।

3. आयोग ने यह भी निर्देशित किया कि ऐसे अधिकारी, जो अपने स्थानांतरण, पदस्थापना और पदोन्नति इत्यादि के संबंध में किसी भी प्रकार का राजनैतिक दबाव डालते हो, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इस आशय का एक परिपत्र तुरंत जारी किए जाने की जरूरत है।

4. आयोग ने विशेषज्ञ सदस्य (विपणन) के अवलोकन का भी संज्ञान लिया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी के स्थानांतरण, पदस्थापना और पदोन्नति इत्यादि के संबंध में आयोग के किसी भी सदस्य पर राजनैतिक दबाव के बारे में तुरंत ही अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अवगत कराया जाना चाहिए।

• जनवरी 2017 की अवधि तक के लिए भुगतान एवं प्राप्तियों के संबंध में लेखा निदेशालय का प्रस्ताव।

1. आयोग ने माह जनवरी 2017 तक की अवधि के लिए 'केवीआईसी के मासिक लेखा' को अनुमोदित किया।

2. आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि 1.4.2017 से मासिक लेखा विवरणों को संशोधित नए फौरमैट में प्रस्तुत किया जाए, जिसमें 1.4.2017 से तिमाही आधार पर केवीआईसी के फील्ड कार्यालयों द्वारा किए गए योजनावार खर्चों के विवरण को भी इंगित किया जाएगा; और इसे आयोग के अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

• विसंगति समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार करने तथा इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को अग्रेषित करने, तथा डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार स्टाफ कार चालकों की पदोन्नति पर विचार करने के संबंध में प्रशासन निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की और निम्नानुसार निर्णय लिया:

1. आयोग ने डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार स्टाफ कार चालकों की पदोन्नति पर विचार करने के संबंध में विसंगति समिति की सिफारिशों को अनुमोदित किया और इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को भेजा जाए।

2. आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि विभिन्न राज्य/मंडलीय कार्यालय में पदस्थ स्टाफ कार चालकों की प्रभावी उपयोगिता के लिए एक नीति तैयार की जाएगी, जिनकी सेवाएं वहां स्टाफ कार के नहीं होने के कारण नहीं ली जा रही हैं। विशेषज्ञ सदस्य (विपणन) ने अवलोकन किया कि ऐसे सभी आधिक्य संख्या के कर्मचारियों को आयोग की आवश्यकता अनुसार पुनः दक्ष किया जाना चाहिए।

3. एकल पदों, अधिसूचित भर्ती नियम -2016 में संशोधन तथा आदर्श पिरामिड के सृजन एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग में संवर्ग रिस्ट्रक्चरिंग इत्यादि जैसे मुद्दों पर विसंगति समिति की सिफारिशों के संबंध में आयोग ने यह निर्णय लिया है कि सदस्यों द्वारा सिफारिशों की जांच की जाएगी तथा दो माह के भीतर इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

• 4. आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि रिक्त एकल पदों को नहीं भरा जाना चाहिए तथा रिक्त एकल पदों की सेवाओं को, आवश्यकता के आधार पर, किसी बाह्य स्रोत से पूरा किया जाना चाहिए।

• मेसर्स फैब इंडिया ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खादी के नाम का अनिधिकृत उपयोग किए जाने व इस संबंध में मैसर्स फैब इंडिया को विधिक नोटिस जारी करने संबंधी जानकारी देने हेतु निदेशक (खादी प्रमाण पत्र निदेशालय) का प्रस्ताव।

1. मैसर्स फैब इंडिया ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खादी के नाम का अनिधिकृत उपयोग करने के फलस्वरूप मैसर्स फैब इंडिया को खादी मार्क विनियम का उल्लंघन करने हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पदाधिकारियों द्वारा विधिक नोटिस भेजने के संबंध में की गई अनुवर्ती कार्रवाई को आयोग ने नोट किया तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पदाधिकारियों की प्रशंसा की।

2. आयोग ने यह भी नोट किया कि मैसर्स फैब इंडिया ने यह सूचित किया है कि उन्होनें अपने शो-रूम व काउंटर से खादी के सभी अनिधिकृत उत्पादों को हटा लिया है तथा इस मुद्दे के समाधान के लिए आयोग से चर्चा करने हेतु सहमति व्यक्त की है।

• **संस्थाओं द्वारा केवीआईसी ऋण के निबटान के पश्चात बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करना।**

1. आयोग ने सदस्य (मध्य अंचल) की इस टिप्पणी को नोट किया कि आयोग के उत्कृष्ट प्रयासों व निर्देशों के बावजूद भी राज्य/मंडलीय कार्यालयों व केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई के संबंधित निदेशालयों की तरफ से उन संस्थाओं को बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करने में अत्यंत विलंब हुआ है, जिन्होनें केवीआईसी लोन का निबटान कर दिया था।
2. अतः आयोग ने (1) बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव (2) जारी किए गए बेबाकी प्रमाणपत्रों की संख्या तथा (3) राज्य/मंडलीय कार्यालयों के पास लंबित बेबाकी प्रमाणपत्रों की संख्या के बारे में आयोग की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

• **खादी संस्थाओं की एकाधिक लेखा-परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंध में।**

1. आयोग ने सदस्य (मध्य अंचल) की इस टिप्पणी को नोट किया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी संस्थाओं की एकाधिक लेखा परीक्षा की जाती है, जिससे संस्थाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है । मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार ने यह जानकारी दी है कि खादी संस्थाओं के नियमित आंतरिक/सीए लेखा परीक्षा के बावजूद सतर्कता जानकारी/ अन्वेषण के आधार पर कुछ संस्थाओं की विशेष लेखा परीक्षा की जाती है तथा सीएजी द्वारा भी यादृच्छिक लेखा परीक्षा की जाती है।
2. इस संबंध में आयोग ने यह निर्णय लिया कि सभी आंचलिक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाएगा कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कार्यरत उन संस्थाओं के संबंध में विवरण प्रेषित करें, जिनकी लेखा परीक्षा एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार की गई हो तथा एक से अधिक बार लेखा परीक्षा आयोजित करने का कारण भी स्पष्ट करें।

· **खादी संस्थाओं द्वारा आयोग के पास मॉर्गेज की गई संपत्ति अधिकार विलेख (टाइटल डीड) को लौटाना।**

1. आयोग ने सदस्य (दक्षिण अंचल) की इस टिप्पणी को नोट किया कि ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां संस्थाएं खादी और ग्रामोद्योग आयोग से लिए गए ऋण को लौटाने के पश्चात खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पास मॉर्गेज संपत्ति अधिकार विलेख (टाइटल डीड) की मांग कर रही हैं।
2. उन्होनें यह भी आयोग के संज्ञान में लाया कि संस्थाएं अपने ऋण के एक बारगी निबटान की मांग कर रही हैं तथा संस्थाओं से बातचीत करने के उपरांत राज्य/मंडलीय निदेशक एक बारगी निबटान हेतु राशि का निर्धारण कर रहे हैं, जो राशि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ऋण के रूप में संस्थाओं को दी गयी थी। इस प्रकार वे केवीआईसी के पास मॉर्गेज संपत्ति अधिकार विलेख (टाइटल डीड) वापस करने की मांग कर रही हैं।
३. आयोग ने यह अवलोकन किया कि राज्य/मंडलीय निदेशकों के पास इस संबंध में कोई अधिकार नहीं है तथा न ही संस्था से चर्चा कर उनके एक बारगी ऋण निपटान हेतु कोई दिशा-

अनुलग्नक -I

दिनांक 25 जनवरी, 2017 को नयी दिल्ली में आयोग की 641 वीं बैठक में कार्यवृत्त की पुष्टि पर चर्चा के दौरान उठे मुद्दे

विधि मामले निदेशालय का प्रस्ताव: अधिसूचित भर्ती नियम-2016 की अनुरूपता के साथ विभिन्न पदों के नाम में परिवर्तन के संबंध में खाग्राआ ई सीसीए अधिनियम - 2003 की अनुसूची में प्रस्तावित संशोधन।

१. आयोग ने सदस्य (मध्य अंचल) की अधिसूचित भर्ती नियम-2016 की अनुरूपता के साथ विभिन्न पदों के नाम में परिवर्तन के संबंध में दी गयी टिप्पणियों को नोट किया कि प्रत्येक पदों के स्तर के लिए नियुक्ति, अनुशासनिक एवं अपीलीय प्रधिकारी का विवरण आयोग के समक्ष टेबल के रूप में रखा जाना चाहिए था, जिससे कि प्रस्ताव पर उचित निर्णय लेते समय सभी सदस्यों को प्रस्ताव की जटिलता को समझने में आसानी हो।
२. अतः आयोग ने निर्देश दिये कि भविष्य में इस प्रकार के सभी प्रस्तावों को अनिवार्य रूप से प्रत्येक पदों के स्तर के लिए नियुक्ति, अनुशासनिक एवं अपीलीय प्रधिकारी का विवरण आयोग के समक्ष टेबल के रूप में रखा जाना चाहिए जिससे कि प्रस्ताव पर उचित निर्णय लेते समय सभी सदस्यों को प्रस्ताव की जटिलता को समझने में आसानी हो।

· खादी प्रमाण पत्र निदेशालय का प्रस्ताव : खादी मार्क पंजीकरण एवं नए खादी प्रमाण पत्र हेतु लिए गए शुल्क में असमानता के बारे में विवरण।

1. उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुराने खादी प्रमाण पत्रों को आंचलिक समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित/जारी किया जाएगा।
2. आयोग के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 01.04.2017 से संस्थानों को प्रमाण पत्र खादी मार्क अधिनियम के अनुसार जारी किए जाएंगे।

प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारियों के चयन हेतु प्रस्तावित चयन समिति बहुत बड़ी प्रतीत होती है। चर्चा के पश्चात, यह निर्णय लिया गया कि समिति केवल निम्नलिखित 04 सदस्यों तक ही सीमित रहेगी एवं उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशा.) साक्षात्कार/चयन के आयोजन हेतु सभी विवरण समिति को प्रस्तुत करें।

चयन समिति :

1. अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग : अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, सूलमउ मंत्रालय : सदस्य
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी : सदस्य
4. संबन्धित क्षेत्र में विशेषज्ञ व्यक्ति : सदस्य

अनुलग्नक –II

आयोग की दिनांक 24.12.2016 को आयोजित 640वीं बैठक में कार्रवाई प्रतिवेदन पर चर्चा के दौरान उठे मुद्दे।

1.एस.टी. योजना के अंतर्गत आत्म-मंथन सत्र :

आयोग ने विभिन्न कार्यक्रम केन्द्रित योजनाओं के माध्यम से एसटी हब योजना के अधीन चिन्हित निधियों के प्रभावी उपयोग पर विशेषज्ञों, स्त्रोत व्यक्तियों एवं खाग्राआ/खाग्राम/संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों के अन्य पदाधिकारियों का आत्म मंथन सत्र आयोजित कराने की विशेषज्ञ सदस्य (ग्रामीण विकास) की टिप्पणियों को नोट किया और आयोग ने उन्हें आश्वासन दिया कि सत्र 17-18 अप्रैल, 2017 को आयोजित किया जाएगा।

★★★★

(पृष्ठ 9 से आगे.....)

अहमदाबाद में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर दो दिवसीय आंचलिक स्तरीय कार्यशाला आयोजित

एवं सुदृढ़ बनाना है तो ग्रामोद्योगों को विकसित करना आवश्यक है और खादी और ग्रामोद्योग आयोग उसी मार्ग पर लगातार अग्रसर है। कृषि आधारित उद्योग जैसे कि मसाला, पापड़, आचार, जेम जेली, ज्यूस, गुड, नीरा, तेल और दालें उद्योग आदि खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एबीएफपीआई उद्योग के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने परम्परागत उद्योगों को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया।

श्री के.बी.कम्बलिया, प्रधानाचार्य, पॉलिटेक्निक फ़ूड साइंस, आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद एवं श्री जे. एस. पाठक, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय ने उपस्थित लोगों को कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण स्थापित करने, इकाई संचालन इत्यादि की तकनीकी जानकारी उपलब्ध करायी।

श्री संजय ग. हेडाऊ, राज्य निदेशक, महाराष्ट्र व गुजरात, खा.ग्रा.आ. ने इस अवसर पर बताया कि आयोग एवं गुजरात राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड लगातार बेरोजगार लोगों को कुटीर उद्योगों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करने हेतु प्रयासरत है तथा पीएमईजीपी योजना के माध्यम से 100 हजार नई इकाईयाँ गुजरात राज्य में स्थापित हो चुकी है।

आयोग के उपनिदेशक प्रभारी, मुंबई डॉ. एस. ग्रिप ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यशाला दो दिन चलेगी जिसके तकनीकी सत्र में उद्योग स्थापना के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी जानकारी, लाईसेंस प्रक्रिया, पैकेजिंग, मार्केटिंग इत्यादि जानकारी प्रतिभागियों को उपलब्ध करायी जाएगी. इसके साथ ही अहमदाबाद में स्थापित सफल इकाईयों का फील्ड विजिट भी कराया जायेगा ताकि नए उद्यमियों को प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन मिल सके।

★★

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ

THE WARP AND WEFT

The war over Khadi: What it means for aspirant buyers of India's freedom fabric

Shefalee Vasudev
shefalee.v@livemint.com

NEW DELHI: A khadi war is looming. Just before the working week ended on Saturday, the state-run Khadi and Village Industries Commission (KVIC) fired off a legal notice to Fabindia, saying it should stop selling garments in the name of khadi.

KVIC's media cell called it a "strongly worded legal notice" that stressed its ownership over brand khadi, a symbol of India's freedom struggle that went on to become the uniform of choice for post-independence politicians and has now evolved into a fashion statement. "The organisation (Fabindia) was continuing to sell its garments in the name and style of khadi despite earlier warnings by KVIC and assurances by Fabindia that it will not do so. It is an illegal act and amounts to indulging in unfair trade practice," said the notice.

KVIC threatened Fabindia with legal action if it did not stop the practice immediately.

KVIC chairman V.K. Saxena cited the KVIC Act of 1956 and the Khadi Mark Regulations of 2003—notified by the Union ministry for micro, small and medium enterprises—to say "no product can be sold as khadi without the khadi Mark tag. Not only that, any private brand or producer of khadi must buy khadi from a government-cleared khadi institution. This is the only way to protect khadi artisans".

Brands that sell khadi products or garments must, in accordance with the law, apply for a khadi mark regulation certificate—a 45-day process.

"₹10,000 as fee for the certificate and a list of 25 spinners and five weavers is all we seek.

Visitors at the Khadi Gram Udyog pavilion during Trade Fair 2016, in New Delhi last year HT/FILE

Anyone can sell khadi as long as they follow KVIC's checks and balances and follow regulations," said Saxena.

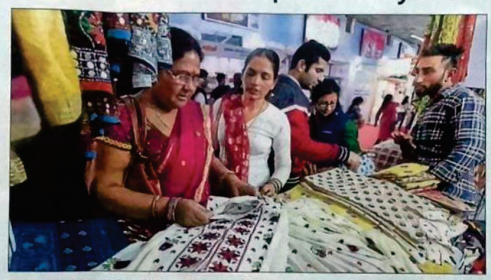

Equally, Fabindia Overseas Pvt Ltd, established in 1960, claims to run the country's largest retail platform for goods produced by artisans who live largely in rural areas.

Fabindia CEO Viney Singh said in an emailed statement: "We are in receipt of the notice and have responded to KVIC, requesting a meeting with the designated authorities to understand the issues that have been raised, and to resolve them."

KVIC's increasing assertion of its legal ownership of Khadi has made companies like Raymond apply for a regulation certification last year to sell khadi fabrics, according to Saxena. However, many other khadi players remain unaware about the obligation.

That's exactly the warp and weft of the brand khadi story. What must consumers make of what is sold as khadi?

Khadi exponent Rta Kapur Chishti's label Taanbaan uses handspun, handwoven khadi made on the traditional spinning wheel but nowhere does her brand spell out khadi.

According to Chishti, most, if not all, of what is paraded as khadi is from semi-mechanised ambar charkhas. "Desi charkhas have been completely forsaken because they are slow in production."

For the aspiring khadi wearer, its brand value as the fabric of freedom endorsed by the greatest handloom marketer of all time, Mahatma Gandhi, is clear. Less clear is what makes for khadi—whether it is handspun, or spun on ambar charkhas, or industrial charkhas.

Under the ambiguities, there is a messy khadi war challenging the notion that khadi's economic growth and "protection of rural artisans" are the exclusive preserve of the government. KVIC may need to do a lot of efficient and unbiased work to employ vigilance. Taking out the many spurious khadi outlets is one.

Meanwhile, one important question remains: whose khadi is it anyway?

Nikita Doval and Sounak Mitra contributed to this story

TIMES NATION | Politics & Policy

▶Continued from P 1

Khadi sale to grow by 35% this year

KVIC has bagged orders from several public sector companies such as ONGC (Rs 52 crore) and government departments such as railways (Rs 42 crore) since the Narendra Modi government came to power. But KVIC had maintained that a majority of the orders were not through nomination but through a competitive process.

If KVIC is able to supply goods worth Rs 150 crore to hospitals, this alone will be over 7% of its annual sales for the current year. Last year, the sale of khadi products was estimated at a little over Rs 1,500 crore and is projected to grow 35% in the current financial year. Sales have boomed over the last few years as the government has pushed khadi.

While demand is rising at a brisk pace, growth in production has been lagging and has emerged as a key challenge for KVIC.

"The ministry of health adopting khadi for hospitals and staff is a significant symbol of khadi being the most natural and organic skin-friendly fabric... J P Nadda's example of prescribing khadi for medical staff will result in purchases of Rs 150 crore by the health ministry. It will have a compounding effect of livelihood support it gives to khadi artisans," KVIC chairman V K Saxena said while confirming the health ministry order.

SANJAY GANDHI POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
Raebareli Road, Lucknow-226014
Tele: 0522-2494934/2494094 Email: hrf@sgpgi.ac.in
Hospital Revolving Fund (HRF)
Notice Inviting Tend...
Institute invite...

---

ing body CBDT has asked them to … to respond by email. … are 17 features in the Rs 20…

KVIC sends legal notice to Fabindia for using brand name Khadi

MPOST BUREAU

NEW DELHI: Khadi India has threatened to sue Fabindia, a chain of ethnic wear retail outlets, for allegedly indulging in "unfair trade practice" by using and selling its cotton products unauthorisedly under its registered brand name "Khadi".

Khadi & Village Industries Commission (KVIC) has sent a legal notice to Fabindia Overseas Pvt Ltd asking it to immediately stop using Khadi word from all its cotton products and remove display banners from its showrooms immediately alleging that Khadi India's brand name was unlawfully used to mislead and confuse the consumers.

"You are called upon to explain your position in the above matter within 15 days from the date of receipt of this notice, failing which the KVIC will be constrained to proceed against your company as per law for the violation of Khadi Mark Regulation and payment or incidental damages for the losses caused to KVIC by Fabindia," the February 8 legal notice addressed to Fabindia's New Delhi-based CEO said.

KVIC, which is an autonomous body under the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, said that despite warning and assurances given earlier, continuation of selling garments in the name and style of 'Khadi' was an illegal act and amounted to "indulging in unfair trade pracice by selling normal cotton fabric as Khadi."

Justifying the legal notice, KVIC Chairman V K Saxena said, "the KVIC was very keen to protect its reputation and would take stringent measures against those who violated rules and regulations that have been framed for the benefit of rural artisans attached to it."

Maintaining that earlier too such action has been taken against major companies, including one last year, Saxena said the notice to Fabindia said, as per the Khadi Mark Regulations, 2003 and Khadi & Village Industries Commission Act, 1956 in order to regulate the production, sale or trading of Khadi and Khadi products in India, "no textile shall be sold or otherwise trade by any person or certified Khadi institution as 'Khadr' or 'Khadi products', in any form or manner without it bearing a 'Khadi Mark' tag or label issued by KVIC". It also said Fabindia was denied the certificate to use the brand name Khadi as it did not adhere to the procedural formalities for Khadi mark certification which was discussed with the representatives of the private company. The notice claimed that despite written assurances, Fabindia was still selling readymade garments from its outlets under the name of 'Khadi' and have also put up prominent Khadi display panels at their various sales outlets.

"Further, on visit to your outlets, it was found that readymade garments as Khadi are being sold from your several outlets. Photocopy of few such price tags and display panel at Bengaluru Airport c1ear1y indicate products being sold by Fabindia as Khadi", the legal notice said.

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ

खादी को मनरेगा से जोड़कर युवाओं को 330 दिन का रोजगार देंगे : सक्सैना

- 'खादी के महत्व को समझें और इसे अपनाएं सभी युवा'
- 'दिल्ली के कनॉट पैलेस में चरखा संग्रहालय बनेगा'
- खादी लॉंज में मिलेंगे सभी खादी उत्पाद

'खादी कलेंडर में इंदिरा और राजीव गांधी की तस्वीरें भी छप चुकी हैं'

'फैशन ने हथकरघा को दिलाया है सम्मान'

■ एजेंसियां, मुंबई : डिजाइनर गौरांग शाह ने बुनाई कारीगरी को शानदार तरीके से पुनर्जीवित किया है और खादी को फिर से लोकप्रिय बनाया है। वह इस बात से बेहद खुश हैं कि फैशन उद्योग ने हथकरघा का स्वागत किया है और इसे अपनाया है।

शाह ने बताया, 'एक वस्त्र डिजाइनर के रूप में मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय फैशन उद्योग ने हथकरघा को पूरे सम्मान के साथ अपनाया है। हमने पारंपरिक बुनाई कला का पुनरुद्धार किया है। जैसे जमदानी बुनाई का इस्तेमाल हम अपने फैशन परिधानों को बनाने में कर रहे हैं।' डिजाइनर का कहना है कि यह दुनिया भर में अपने अद्वितीय सौंदर्य को बढ़ाता है।

शाह ने 40 परिधानों के संग्रह को 'मसलिन' नाम से लैक्मे फैशन वीक समर/रिसॉर्ट 2017 में पेश किया। उनका संकलन प्रकृति के रोमांस से प्रेरित था। अपने रेंज के बारे में डिजाइनर ने बताया कि उनके संग्रह में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बुनाई और तकनीक को शामिल किया गया है। सफेद रंग के परिधानों पर भव्य मुगल रूपांकनों, खादी पर ज्यामितीय पैटर्न, चिकनकारी कढ़ाई और खूबसूरत पारसी गारा कढ़ाई का इस्तेमाल हुआ है। डिजाइनर के संग्रह को तैयार करने के लिए 50 बुनकरों ने छह महीने लगातार काम किया। शाह की खूबसूरत बुनाई वाली कांजीवरम साड़ी को 69वें कान फिल्म महोत्सव के दौरान फिल्म 'सरबजीत' की निर्माता दीपिका देशमुख पहन चुकी हैं। डिजाइनर कहते हैं कि हथकरघा भारत की गौरवशाली विरासत है और इसका संरक्षण करना और बुनकर समुदाय की मदद करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले यह खूबसूरत कला विलुप्त होने के कगार पर थी, लेकिन कुछ लोगों के प्रयासों ने इसे पुनर्जीवन दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों और प्रचार से उच्च स्तर पर भारतीय हैंडलूम की स्वीकार्यता बढ़ी है। शाह ने महज दो बुनकरों के साथ काम करना शुरू किया था और आज उनके लेबल के साथ 700 से ज्यादा बुनकर जुड़े हुए हैं।

AIIMS told to use khadi soap, linen

Sidhartha@timesgroup.com

New Delhi: The health ministry has asked central government hospitals across the country, such as AIIMS, to buy khadi products — from soaps to doctors' coats and bed and bath linen — as it seeks to purchase goods worth at least Rs 150 crore.

The order, issued on Wednesday, covers at least 23 hospitals, including PGI Chandigarh, Jipmer Puducherry and Nimhans Bengaluru, apart from AIIMS. In all, a list of 45 items has been circulated for the "exclusive" use of hospitals and autonomous institutes associated with the health ministry. It includes blankets, various types of soaps, curtains, gowns for patients and doctors, among others. The list was finalised based on the recommendation of a committee set up last year.

This is the largest institutional order for the Khadi and Village Industries Commission, the agency responsible for promoting khadi.

DESI LOOK

- 23 hospitals, including **AIIMS, PGI Chandigarh, Jipmer Puducherry and Nimhans Bengaluru**, to buy khadi products
- 45 items for **'exclusive' use by hospitals** and autonomous institutes: Soaps, doctors' coats, bath linen, gowns for patients, blankets, curtains
- Largest institutional order for KVIC **worth ₹150 crore**

▶Sale to grow 35%, P 19

The Hindustan Times
ESTABLISHED IN 1924

A new spin to the Khadi debate

The fight between KVIC and Fabindia over the fabric is more than just a brand war

ourtake

The Khadi and Village Industries Commission (KVIC) is no more the moribund institution it once was. Its outlook has become aggressive, and it seems the 61-year-old organisation will not shy away from hard tackling competitors to protect its turf. On Monday, KVIC threatened legal action against ethnic wear retailer Fabindia for selling its cotton garments as Khadi products without proper approvals from the Commission.

The KVIC's legal notice to Fabindia Overseas said the retailer was continuing to sell its garments in the "name and style of Khadi" despite earlier warnings by KVIC and assurances by Fabindia that it will not do so. In the last few years, KVIC has been reviving the iconic brand: As many as 143 defunct Khadi units started since April 2014. The organisation is taking "pro-active" steps to revive defunct Khadi institutions, which have closed due to low wages, lack of funds for replacement of charkhas and looms and inadequate marketing. Yet, the fight between KVIC and FabIndia is more than just a brand war. It's a battle of mind space of buyers that the KVIC and the government don't want to cede control. Only a few weeks ago, Prime Minister Narendra Modi's image replaced that of the original model on Khadi merchandise: The Mahatma. This led to a furor but the KVIC chairman VK Saxena said this was "not unusual".

While KVIC and Fabindia slug it out, one must not lose sight of three issues: One, there is no unanimity about what is 'Khadi'. By definition, Khadi is "handspun, handwoven fabric". In an article in MINT, textile scholar Rta Kapur Chishti raises questions about the authenticity of what's paraded as Khadi, saying that most, if not all Khadi sold by KVIC institutions is from semi-mechanised Ambar Charkhas. Desi charkhas have been forsaken because they are slow in production. So is it okay to accept Ambar Charkha Khadi sold by KVIC and its regulated institutions as authentic Khadi because of the Khadi Mark tag? Legally, as the article says, the last is correct, but realistically, there are very few Khadi centres that still make handspun, handwoven Khadi. Second, and a more critical question: Is Khadi's economic growth as an aspirational fabric and "protection of rural artisans"— as KVIC claims — the prerogative of the government? Many would disagree because what KVIC is selling — as experts have pointed out — is also not authentic Khadi.

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ

Khadi body threatens Fabindia with legal action

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has threatened legal action against ethnic retailer Fabindia for allegedly selling its ready-made cotton garments as Khadi products without getting proper approvals. KVIC has sent a legal notice to Fabindia Overseas, which said the retailer was continuing to sell its garments in the name and style of Khadi despite earlier warnings by KVIC and assurances by Fabindia that it will not do so.

"It is an illegal act and, in other words, amounts to indulging in unfair trade practice," the notice said.

Viney Singh, CEO of Fabindia, said, "We are in receipt of the notice and have responded to KVIC, requesting a

Who owns the Khadi legacy?

Khadi India has threatened to sue Fabindia, a chain of ethnic wear retail outlets, for allegedly indulging in "unfair trade practice" by using and selling its cotton products in an unauthorised manner under its registered brand name "Khadi". Khadi & Village Industries Commission has sent a legal notice to Fabindia asking it to immediately stop using the word "Khadi" while selling all its cotton products and remove display banners from its showrooms immediately.

खादी ब्रांड के इस्तेमाल पर फैबइंडिया को नोटिस

प्रेट्र : परिधान रिटेल चेन फैबइंडिया विवादों में घिर गई है। उस पर खादी इंडिया के ब्रांड नाम 'खादी' के इस्तेमाल का आरोप लगा है। इसके लिए उसे कानूनी नोटिस भेजा गया है। खादी इंडिया ने चेतावनी दी है कि फैबइंडिया अनधिकृत रूप से अपने कॉटन उत्पाद उसके पंजीकृत 'खादी' के नाम से बेच रही है। इसे बंद नहीं किया गया तो उसके पर मुकदमा किया जाएगा।

Khadi may sue Fabindia for using brand name

New Delhi: Khadi India has threatened to sue Fabindia, a chain of ethnic wear retail outlets, for allegedly indulging in "unfair trade practice" by using and selling its cotton products unauthorisedly under its registered brand name "Khadi".

Khadi & Village Industries Commission (KVIC) has sent a legal notice to Fabindia Overseas Pvt Ltd asking it to immediately stop using Khadi word from all its cotton products and remove display banners from its showrooms immediately alleging that Khadi India's brand name was unlawfully used to mislead and confuse the consumers.

"You are called upon to explain your position in the above matter within 15 days from the date of receipt of this notice, failing which the KVIC will be constrained to proceed against your company as per law, the legal notice said.-PTI

KVIC SENDS LEGAL NOTICE TO FABINDIA FOR VIOLATING REGULATIONS

Khadi and Village Industries Commission has come down strongly on Fabindia for selling its ready made cotton garments as Khadi products without getting proper approvals and threatened legal action if the organisation did not stop the practice immediately. In a strongly worded legal notice to Fabindia Chief Executive Officer, Viney Singh, KVIC's Director [Legal Affairs], noted that the organisation was continuing to sell its garments in the name and style of Khadi despite earlier warnings by KVIC and assurances by fabindia that it will not do so. "It is an illegal act and, in other words, amounts to indulging in unfair trade practice." the notice says. As per Khadi Mark Regulations, 2003 notified by the Union Ministry of Micro, S mall and Medium Enterprises, no textile shall be sold or otherwise traded by any person or certified Khadi institution as "Khadi" or "Khadi products" in any form or manner without it bearing a "Khadi Mark" tag or label issued by a Committee under the Regulation. The regulation, among other things, enforces certain obligations on every person or certified Khadi institutions engaged in the business of sale of products as Khadi or Khadi products.

Short take

खादी आयोग ने फेबइंडिया को नोटिस भेजा

बिजनेस डेस्क: खादी इंडिया ने 'खादी' ब्रैंड नाम के इस्तेमाल को लेकर वस्त्रों की खुदरा कंपनी फेबइंडिया को कानूनी नोटिस भेजा है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने फेबइंडिया ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड को कानूनी नोटिस भेजा और कहा है कि वह अपने सभी सूती उत्पादों के लिए खादी शब्द का इस्तेमाल तुरंत बंद करे। आयोग के अनुसार 'खादी' उसका पंजीकृत ब्रैंड नाम है और फेब इंडिया इस नाम का इस्तेमाल 'अनाधिकृत' रुप से कर रही है जो कि 'अनुचित व्यापार व्यवहार' है। कंपनी से कहा गया है कि वह अपने शोरुम में इस बारे में लगे बैनर आदि भी हटा ले क्योंकि इससे ग्राहकों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। आयोग के चेयरमैन वी के सक्सेना ने नोटिस को उचित बताते हुए कहा, 'आयोग अपनी साख की रक्षा करना चाहता है और वह नियम कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा।'

'Fabindia Flouted Khadi Mark Norms'

Tasmayee.Laharoy@timesgroup.com

Kolkata: The Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has come down heavily on Fabindia for selling its ready-made cotton garments as Khadi products without getting proper approvals from the government body.

The notice said that on a careful scrutiny of the garments and price tag sold by Fabindia as Khadi, it was observed that Fabindia labelled garments as 'Fabindia Cotton'.

The sale of fabric/garments by unauthorisedly using the name of 'Khadi' without obtaining Khadi mark registration from KVIC, in compliance of the provisions of Khadi Mark registration, is in the contravention of the provisions of the Khadi Mark regulation and as such the same is unlawful," read the notice.

Acknowledging receipt of the notice to **ET**, Viney Singh, CEO, Fabindia said, "We are in receipt of the notice and have responded to KVIC, requesting a meeting with the designated authorities to understand the issues that have been raised, and to resolve them."

KHADI COMMISSION FIRES OFF NOTICE TO FABINDIA

DC CORRESPONDENT
MUMBAI, FEB. 12

The Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has sent a legal notice to Fabindia for selling its ready-made cotton garments as khadi products without getting proper approvals and threatened legal action if the organisation did not stop the practice.

According to February 8 notice, KVIC had drawn the attention of Fabindia to this aspect in August 2016 when it had come up with advertisements for selling or trading of fabric in the name of khadi.

In a legal notice, to Fabindia chief executive officer Viney Singh, KVIC's director K.S. Lakshminarayan stated that the organisation has been selling its garments in the name and style of khadi despite earlier warnings by KVIC. It said, KVIC had written to Fabindia on August 13, 2015 too.

The letter was written when Fabindia had come up with advertisements for selling or trading of fabric in the name of khadi. The company was asked to stop further advertisement and sale of the concerned fabric.

KVIC officials have claimed the company's act to be illegal and amounting to indulging in unfair trade practice.

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ

city भास्कर

BHOPAL, SUNDAY, 05/02/2017

आरुषि के स्पेशल बच्चों ने की रैंपवॉक, खादी के डिजाइनर वियर को किया प्रेजेंट

गांधी भवन में शनिवार को खादी को प्रमोट करने के उद्देश्य से हुआ युवा खादी उत्सव का आयोजन

सिटी रिपोर्टर • खादी को प्रमोट करने के उद्देश्य से खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से गांधी भवन में शनिवार को युवा खादी उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत खादी का युवाओं के बीच इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए चार कॉम्पिटीशन रखे गए। डिबेट कॉम्पिटीशन में फ्यूचर ऑफ खादी पर स्टूडेंट्स ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही तीन कैटेगरीज में डिजाइन कॉम्पिटीशन में आयोजित हुआ। इस आयोजन में निफ्ट सहित आरजीपीवी, मैनिट, जेएलयू, और एक्सीलेंस कॉलेज के लगभग 150 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इस आयोजन में चीफ गेस्ट के रूप में खादी ग्रामोद्योग आयोग, दिल्ली के चेयरमेन विनय कुमार सक्सेना शामिल हुए।

खादी का इस्तेमाल कर तैयार किए होम डेकोर आइटम्स

प्रोडक्ट डिजाइनिंग में स्टूडेंट्स को खादी फैब्रिक दिया गया जिसका इस्तेमाल करके खादी से होम डेकोर आइटम्स तैयार किए गए। इसके साथ ही एडवरटाइजिंग डिजाइनिंग राउंड में स्टूडेंट्स ने खादी को प्रमोट करने के लिए किस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाएं इस पर भी अपने-अपने विचार पेश किए। वहीं स्टोर डिजाइनिंग में सोशल मीडिया पर खादी के प्रमोशन को लेकर बात की गई।

आरुषि के बच्चों ने किया रैंप वॉक

CITY PLUS

BHOPAL SUNDAY | 5 FEBRUARY 2017

THE PARTICIPANTS SHOWCASED THEIR IN-DEPTH KNOWLEDGE

Youth festival for khadi revival

A debate, ramp walk and a fabric designing contest held in the event

DB Post Correspondent

Bhopal: Aiming to promote Khadi, a unique kind of event, Youth Khadi festival, was held at Gandhi Bhavan on Saturday.

An array of activities were organised on the occasion, opening up scope for understanding the various dimensions of Khadi through a debate competition and a Khadi fabric designing exercise.

The event commenced with 'Threading Words', a debate, in which both the motion speaker and interjector of each team got five minutes to express their views on topics relating to Khadi, its revival and village industries. The participants put forth their opinions and showcased their in-depth knowledge about the subject.

Going forward, there was another activity 'Design the Wheel' — a designing contest — in which participants had to design fabrics given to them. The end results turned out to be very pretty indeed, whether that was some accessory, actual garments or laptop covers, all weaved out of the Khadi fabric. The event concluded with a fashion show, with children from Arushi walking down the ramp, wearing attires made from Khadi. They looked beautiful wearing dhoti pants, Nehru jacket, shirts etc.

THINKERS BEHIND THE EVENT

The event was jointly organised under the aegis of Khadi and Village Industry Commission (KVIC), along with Mahatma Gandhi Seva Ashram, Jaura (MGSA)

Special kids steal the show at khadi fest

Bhopal: 'Youth khadi festival 2017' was held at Gandhi Bhavan on Saturday in an attempt to promote Khadi among youngsters in the state capital.

Mahatama Gandhi Sewa Ashram, Jaura, and Khadi and Village industries Commission, Bhopal, organised the event.

There were several competitions, including 'Threading words'— a debate contest on khadi, 'design the wheel' — a dress designing contest with khadi as a base, followed by khadi walk, not by professional models, but by specially-abled students of an NGO, Aarushi, in khadi dresses. Chief guest Vinai Kumar Saxena, said, "I am happy to see craze for khadi among youngsters. I hope every young soul adorn khadi and keep khadi in their collection. It is rich and graceful." Saxena is chairman of Khadi and Village Industries Commission, ministry of MSME. TNN

A Moeed Faruqui

Special children of Arushi walk the ramp during youth khadi festival at Gandhi Bhawan

खादी पहनते ही खिले मासूम चेहरे

पत्रिका PLUS रिपोर्टर

भोपाल ● खादी को यंगस्टर्स के बीच प्रमोट करने के लिए खादी ग्रामद्योग आयोग की ओर से गांधी भवन में युवा खादी उत्सव का आयोजन किया गया। जहां चार कॉम्पटीशन ऑर्गनाइज किए गए। डिबेट कॉम्पटीशन में फ्यूचर ऑफ खादी पर स्टूडेंट्स ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान खादी को लेकर चल रहे मौजूदा विवाद जिसमे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गांधी जी को रिप्लेस करने की घटना हुई थी, जिस पर बहस हुई। तीन कैटेगरी में डिज़ाइन कॉम्पटीशन भी आयोजित किया गया। आयोजन में निफ्ट, मैनिट, एक्सीलेंस कॉलेज समेत अन्य कॉलेज के करीब 150 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इस आयोजन में चीफ गेस्ट के रूप में खादी ग्रामोद्योग आयोग, दिल्ली के चैयरमेन विनय कुमार सक्सेना शामिल हुए। प्रोडक्ट डिजाइनिंग में स्टूडेंट्स को खादी फैब्रिक दिया गया जिसका इस्तेमाल करके खादी से होम डेकोर आइटम्स तैयार किए गए। स्टोर डिजाइनिंग में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स ने ब्रांडिंग के लिए सोशल मीडिया के जरिए खादी के प्रमोशन को लेकर बात की।

स्पेशल बच्चों ने किया रैंप वॉक

आयोजन के अंत में आरुषि के स्पेशल बच्चों ने खादी उत्सव में रैंप वॉक किया। खादी के अलग अलग ड्रेसेज पहने इन बच्चों ने रैंप वॉक के दौरान खूब तालियां बटोरी। अंत में बच्चों ने गांधी जी का भजन, दे दी हमें आजादी बिना खडग बिना ढाल गीत प्रस्तुत किया।

पत्रिका भोपाल 5/2/17

जागृति
मार्च - 2017

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ

खादी और ग्रामोद्योग में सृजित होंगे 10 हजार नए रोजगार

भोपाल (आरएनएन)। मध्यप्रदेश में खादी और ग्रामोद्योग में 10 हजार नए रोजगार सृजित होंगे। यह बात विनय कुमार सक्सेना अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने मध्यप्रदेश के दो दिवसीय दौरे के दौरान कही। उन्होंने प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा की।

प्रदेश दौरे पर खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष

बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, सभी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वरिष्ठ अधिकारी व प्रदेश के सफल उद्यमी उपस्थित रहे।

समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को लागू करने में आ रही कठिनाइयों का अध्यक्ष द्वारा समाधान किया गया तथा प्रदेश में 100 करोड़ रुपए के मार्जिन मनी सब्सिडी वितरण के लक्ष्य को पूरा करने का आश्वासन बैंकों द्वारा दिया गया। इससे प्रदेश में कुल 400 करोड़ का ऋण नए उद्यमियों को उपलब्ध होगा। सभी बैंकों द्वारा बैठक में लक्ष्यों की पूर्ति करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद गांधी भवन में महात्मा गांधी सेवा आश्रम, जौरा, मुरैना एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के संयुक्त तत्वावधान में युवा खादी उत्सव, 2017 का आयोजन किया गया, जिसमें आरुषि, निफ्ट, राजीव गांधी प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय द्वारा एक मनभावन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आरुषि की बच्चियों द्वारा गायन की खूबसूरत प्रस्तुति दी गई एवं आरुषि के बच्चों द्वारा खादी डिजाइनर, उमंग श्रीधर द्वारा डिजाइन किए गए खादी वस्त्रों का प्रदर्शन किया गया, जिसे उपस्थित जनसमूह द्वारा सराहा गया।

5000 नई यूनिट्स के माध्यम से 40 हजार लोगों को रोजगार देने की योजना

प्रदेश के उद्यमियों को 400 करोड़ के लोन देगा खादी ग्रामोद्योग आयोग

व्यापार प्रतिनिधि, भोपाल

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम के जरिए 400 करोड़ रुपए लोन बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लोन पर करीब 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिसमें से अभी तक 39 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया जा चुका है।

मध्यप्रदेश में 137 करोड़ के प्रोजेक्ट एप्लीकेशन आई हैं इसमें हम युवाओं को 35 फीसदी सब्सिडी के साथ 50000 से लेकर 2500000 रुपए तक के लोन दे रहे हैं। यह बात रविवार को खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कही। इस अवसर पर आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मध्य क्षेत्र एसपी सिंह एवं निदेशक जेके गुप्ता और मध्यप्रदेश खादी संस्था संघ के अध्यक्ष जगदीश सिंह भी उपस्थित थे। सक्सेना ने बताया कि इसके लिए हमने बैंकर्स के साथ मीटिंग की है जिसमें उनसे लोन प्रपोजल जल्द स्वीकार करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि हमने बैंक अधिकारियों को को बताया कि इस लोन के लिए किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। बैंक अधिकारियों ने भी उन्हें विश्वास दिलाया है कि बैंक मैनेजरों को इस संबंध में निर्देशित कर दिया जाएगा। ताकि ज्याद[illegible] सके। श्री सक्सेना ने कहा कि वित्तवर्ष 2015-16 में 15662 इकाइयां स्थापित हुई और इन से 135000 लोगों को रोजगार मिला। इस वित्तीय वर्ष में 5000 नई यूनिट्स के माध्यम से करीब 40 हजार लोगों को रोजगार प्रदान करने की योजना है।

19 सौ करोड़ रुपए का बिक्री लक्ष्य

खादी ग्रामोद्योग आयोग ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 1400 रुपए का उत्पादन किया और उन्नीस सौ करोड़ रुपए का बिक्री लक्ष्य रखा है, इस लक्ष्य में से लगभग 80 फीसदी हिस्सा पिछले तीन तिमाहियों में हासिल किया जा चुका है, शेष भाग इस तिमाही में हासिल कर लेने की पूरी उम्मीद है। सक्सेना ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आयोग ने 1510 करोड़ रुपए का बिक्री टर्नओवर और 1070 करोड़ का उत्पादन किया था। उन्होंने कहा कि नोट बंदी का असर खादी ग्रामोद्योग आयोग के कामकाज पर बिल्कुल नहीं पड़ा है। पिछले दिनों दिल्ली के प्रगति मैदान पर इंडिया ट्रेड फेयर में हमने अपनी सौ स्टॉल के माध्यम से 13 प्रतिशत अधिक बिक्री हासिल की।

बिक्री बढ़ाने माडर्न आउटलेट

चालू वित्त वर्ष में भी खादी ग्रामोद्योग की ओवरआल ग्रोथ रेट 34 फीसदी रही है। श्री सक्सेना ने कहा कि खादी ग्रामोद्योग आयोग ने अपने 7100 आउटलेट में से 84 को मॉडर्न कर लिया है और चालू वित्त वर्ष में 250 आउटलेट को मॉडर्न करने का लक्ष्य है। आउटलेट के मॉडर्नाइजेशन के लिए 8 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग मिलने के बाद से पूरे देश में खादी की लोकप्रियता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसके साथ खादी की क्वालिटी में भी सुधार हुआ है, खादी ग्रामोद्योग आयोग खादी को आधुनिक रूप प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मुंबई जयपुर और दिल्ली के बाद अब भोपाल में भी मार्च तक खादी इंडिया लाउंज खुल जाएगा। श्री सक्सेना ने कहा कि हम अपने आउटलेट के सेल्स पैटर्न में भी बदलाव ला रहे हैं।

विराट वैभव
नई दिल्ली, रविवार, 19 जनवरी 2017

दिल्ली वैभव

http://epaper.viraatvaibhav.com
https://www.facebook.com/viraatvaibhavdelhi
03

न पर
कोशिश
नें अखिल
न (एम्स)
क्ति ने मेट्रो
ह्त्या करने
औद्योगिक
) के एक
के बिहार
ह 11.33
र मेट्रो के
त एम्स ले
तत नाजुक
ो सेंटर की

अब साबुन से लेकर कंबल तक सब कुछ होगा खादी

वैभव न्यूज ■ नई दिल्ली

स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार के करीब 23 अस्पतालों को साबुन से लेकर डॉक्टरों के कोट और कंबल आदि खादी का उपयोग करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद करीब 150 करोड़ रुपए के खादी उत्पादों की खरीद की संभावना है। हाल ही में जारी किए आदेश में देश के कम से कम 23 अस्पताल शामिल हैं। इस आदेश के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के अलावा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट चंडीगढ़ (पीजीआई चंडीगढ़), जवाहर लाल नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल रिसर्च एजुकेशन एंड रिसर्च, पड्डुचेरी (जेआईपीएमईआर) और निमहंस बेंगलुरू सरीखे अस्पताल शामिल हैं। सभी अस्पतालों को भेजे गए आदेश की कॉपी में 45 सामानों की सूची है, जिन्हें इन अस्पतालों और स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी स्वतंत्र संस्थाओं की ओर से प्रयोग में लाया जाना है।

Khadi India

स्वस्थ जीवन का प्राकृतिक मार्ग

बहुमुखी एवं मनमोहक
खादी डिजाइनर परिधानों
जैसे पर्यावरणानुकुल उत्पादों का एक स्थान
खादी वस्त्र, हर्बल उत्पाद,
रसायन रहित अगरबत्तियां,
विषाणु रहित एवं एन्टी फंगल शहद,
नैसर्गिक एवं आयुर्वेदिक सौन्दर्य उत्पाद
जैसे साबुन एवं शैम्पू,
हाथ कागज एवं पारंपरिक हस्तशिल्प
तथा अन्य उत्पादों की विशाल श्रृंखला

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार

ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड़, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400 056 वेबसाईट : www.kvic.org.in

भारत में हम रोजगार सृजन करते हैं तथा समृद्धि बुनते हैं